



विचार

अनुक्रम

संपादकीय	1
विकास विचार	2
सामाजिक देखरेख : राजस्थान और गुजरात	
नज़रिया	
कौमी हिंसा निवारण अधिनियम	11
आपके लिए	
सामाजिक विकास की दृष्टि से केन्द्र और गुजरात के आय-व्यय पत्रक (बजट)	17
अपनी बात	
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन	22
गुजरात सामाजिक मंच	26
गतिविधियाँ	33
अपने बारे में	34
संपादकीय टीम :	
दीपा सोनपाल	
बिनोय आचार्य	
वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।	
केवल सीमित वितरण के लिए	

संपादकीय

सामाजिक देखरेख को स्थानीय स्तर पर ले जाने की आवश्यकता

हाल ही में लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने, विकास का उद्देश्य हासिल करने तथा विकास को समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए शासन की संस्थाएं जिस तरह काम करती हैं, उसे देखने की शुरूआत हुई है। सामाजिक देखरेख के बतौर पहचानी जाने वाली यह प्रक्रिया मुख्यतया लोकतंत्र को क्रियाशील बनाने वाली सरकारी संस्थाओं की कार्यवाही पर निगरानी रखने का काम करती है। इस प्रक्रिया का यह प्रयोजन है कि संसद, मंत्रिमंडल, न्यायतंत्र और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं अर्थात् पंचायतों व नगर पालिकाओं की कार्यावाही सहभागी, समावेशी व उत्तरदायी बनें और इनमें पारदर्शिता उत्पन्न हो। समग्र देश में मोटे तौर पर शासन की इन संस्थाओं को ध्यान में रखकर सामाजिक देखरेख की यह प्रक्रिया चले, यह जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है स्थानीय स्तर पर भी इस प्रक्रिया का संचालन। इसका कारण यह है कि स्थानीय स्तर की संस्थाओं के साथ नागरिकों के सम्बन्ध रोजमर्रा के होते हैं और यही संस्थाएं तय करती हैं कि शासन स्थानीय स्तर पर नागरिकों के जीवन पर किस तरह प्रभाव डालेगा। अतः समग्र राष्ट्र का संचालन करने वाली संस्थाओं पर निगरानी जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका पर निगरानी रखना। यह प्रक्रिया अधिक प्रासंगिक इसलिए है कि स्थानीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन और असहायता का निवारण करने में ये संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक लक्ष्यों के साथ शासन की संस्थाएं काम करती हैं जबकि स्थानीय स्तर पर स्थानीय लक्ष्य और ध्येय स्थापित होते हैं। ये लक्ष्य और ध्येय हासिल करने में, तथा नये लक्ष्य एवं ध्येय निर्धारित करने में स्थानीय संस्थाएं कितनी मजबूत हैं और होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करने का काम इस सामाजिक देखरेख की प्रक्रिया को करना है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, मध्याह्न भोजन योजना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी बुनियादी सुरक्षा व सेवाएँ प्रदान करने वाली योजनाएं व कार्यक्रम अधिक उत्तम तरीके से चलें और वे लोकग्राह्य हों, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त दृष्टिकोण अपनाया है, अतः सामाजिक देखरेख की दिशा में नये उपाय किए गए हैं। गैर-सरकारी संगठनों ने अन्न-सुरक्षा अभियान और जन स्वास्थ्य अभियान के द्वारा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को तथा व्यवस्थाओं को अधिकार उत्तरदायी बनाने के लिए प्रयास किये हैं। जन-सुनवाई आयोजित करके इन प्रयासों को अधिक संगठित करने के तथा शासन की संस्थाओं को अधिकार जवाबदेह बनाने हेतु संचार माध्यमों में उन्हें अधिक प्रकाश में लाने के प्रयास भी हुए हैं। यह एक संस्थागत प्रक्रिया है। शासन कोई भाववाचक नाम नहीं हैं वरन् नीतियों, नियमों, विनियमों, कानूनों, प्रशासनीय कार्यवाहियों और इन सबको निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा शासन में स्थायी पदों पर बैठे कर्मचारियों का व्यवहार है। विकास की प्रक्रिया पर उनके द्वारा लिये गये निर्णय असर डाला करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि शासन पर सबकी देखरेख बनी रहे। समस्त नागरिक मात्र मतदाता न बने रहें, वरन् शासन पर अनवरत निगरानी भरी देखरेख रखें, यही जीवंत लोकतंत्र की मांग है। सामाजिक देखरेख को ठेठ निचले स्तर तक ले जाने से ऐसी मांग अधिक उत्तम तरीके से पूरी की जा सकती है और लोकतंत्र को अधिक विकेंद्रित व पारदर्शी बनाया जा सकता है।

सामाजिक देखरेख : राजस्थान और गुजरात

‘नेशनल सोशियल वाच कोयेलिशन’ द्वारा ‘सोशियल वाच इंडिया-२००६’ नामक हाल में ही प्रकाशित प्रतिवेदन के आधार पर गुजरात और राजस्थान के विषय में यह वितरण तैयार किया गया है। यह विवरण चार विषयों से संबंधित चार प्रकरणों में विभक्त है : संसद की कार्यवाही, सार्वजनिक नीति और विकास, न्याय व्यवस्था और विकेंद्रित शासन व्यवस्था। प्रतिवेदन में गुजरात और राजस्थान के बारे में जो कहा गया है उनका संकलन यहां **श्री हेमंतकुमार शाह** द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावना

लोकतंत्र और विकास को हासिल करने का उद्देश्य और साधन दोनों लोगों की सहभागिता है। लोकतंत्र तभी अर्थपूर्ण है जब वह नागरिकों को उनके अधिकारों की मांग प्रस्तुत करने और अपेक्षाएं व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान करे। यह उनकी सक्रिय सहभागिता में ही व्यक्त होता है, ऐसा नहीं, परंतु निर्णय-प्रक्रिया में और सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और सेवाओं की व्यवस्था के तंत्र में वादों और नीतियों का प्रश्न खड़ा होता है। वादे कई बार पूरे नहीं किये जाते और नीतियां बहुधा ऐसे मार्ग की तरफ मुड़ जाती हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता। अतः शासन व्यवस्था पर, शासन की प्रक्रिया पर और विकास पर उसके पड़ने वाले प्रभाव पर निगरानी रखना जरूरी हो जाता है।

‘नेशनल सोशियल वाच कोयेलिशन’ द्वारा ऐसी सामाजिक देखरेख रखने हेतु विगत तीन वर्षों से ‘सोशियल वाच इंडिया’ नामक एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसका इरादा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना है जिससे शासन की संस्थाओं पर देखरेख रखने हेतु नागरिक सक्षम बनें और लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के भाग स्वरूप ज्ञान व सूचना का उपयोग करें। इसीलिए २००६ का प्रतिवेदन भी शासन और उत्तरदायित्व को सार्वजनिक संवाद के केंद्र में रखने का प्रयत्न करता है।

‘नेशनल सोशियल वाच कोयेलिशन’ के इस वर्ष के प्रतिवेदन में शासन की प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान रखने वाली संस्थाओं की कार्यवाही की जांच-पड़ताल की गई है। इन संस्थाओं में संसद, मंत्रिमंडल, न्यायतंत्र और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, यथा पंचायतों और पालिकाओं का समावेश होता है।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य, न्यूनतम साझा कार्यक्रम और दसवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में अधिकारों के दृष्टिकोण से इन संस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है। इस प्रकार का प्रतिवेदन तैयार करने का उद्देश्य ज्ञान व सूचना का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में उपयोग करना है जिसमें नागरिक शासन की संस्थाओं पर देखरेख रखने की स्थिति में आते हैं और उनको सहभागी, समावेशी और उत्तरदायी बनाते हैं। इस प्रतिवेदन में शासन और उत्तरदायित्व को सार्वजनिक संवाद के केंद्र में रखा गया है।

शासन की इन चार संस्थाओं की कार्यवाही की समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि उनमें कुछ प्रगति अवश्य हुई है पर विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों को और देश के सभी प्रदेशों तक पहुंचे, इस संबंध में इन संस्थाओं की कार्यवाही में अनेक समस्याएं पेश आती हैं। कुछेक उपलब्धियां जरूर हासिल हुई हैं पर अधिकांश गरीब और उपेक्षित लोग तिरस्कृत ही रहे हैं। इन वर्गों को लोकतंत्र और शासन का मूल्य तभी समझ में आएगा जब वे इनकी जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव डालें।

शासन व्यवस्था और विकास में रुचि लेने वाले सभी लोगों के लिए यह प्रतिवेदन वाकई उपयोगी सामग्री प्रदान करता है। शासन की संस्थाओं का मूल्यांकन जिस तरह हो सकता है उसके निर्देश भी इसी से प्राप्त होते हैं। राज्य स्तर पर ऐसी सामाजिक देखरेख की प्रक्रिया १३ राज्यों में व्याप्त है : तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। प्रत्येक राज्य में यह प्रक्रिया इस अर्थ में भिन्न-भिन्न रही है कि इनमें अलग-अलग मुद्दों

पर देखरेख रखी गई है और मूल्यांकन किया गया है। वह भी उस प्रदेश की प्रासंगिकता को ध्यान में रख कर किया गया है। यथा-बजट का विश्लेषण, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा, शहरी प्रशासन, विधान सभा और विधान परिषदों की कार्यवाही का मूल्यांकन इत्यादि। इस प्रतिवेदन में गुजरात और राजस्थान के बारे में जो विवरण दिये गए हैं उनका समन्वय करने का यहां प्रयास किया गया है।

१. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

अ. गुजरात

३०.६.०५ को इस योजना के अंतर्गत गुजरात व राजस्थान को जो राशि मिली और उसमें से जो खर्च किया गया उससे संबंधित विवरण तालिका नं.१ में दिया गया है। एक वर्ष में लगभग ७५ करोड़ रु. से अधिक राशि गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से मिलती है। ३०.६.०५ के दिन की स्थिति के अनुसार इस राशि में से लगभग ८९ प्रतिशत राशि व्यय की गई थी और ८८ करोड़ रु. के लगभग राशि उपयोग किये बगैर पड़ी रही। २००३-०४ के दौरान गुजरात सरकार को ७७.५ करोड़ रु. इस योजना के अधीन प्राप्त हुए थे। गुजरात सरकार को इस वर्ष केंद्र की ओर से कर की आय में से १९५७.८२ रु. करोड़ का अनुदान मिला था। इस तरह, इस अनुदान के लगभग ४ प्रतिशत जितनी राशि इस योजना के अधीन मिलती है। गुजरात के लिए जो राशि स्वीकृत हुई है, वह उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। समग्र भारत में जो राशि उपयोग में लिये बिना पड़ी रही उसकी ४.२७ प्र.श. के लगभग राशि गुजरात में व्यय किये बिना रही है। तथापि स्वीकृत राशियों में गुजरात के लिए ४.७४ प्र.श. राशि मंजूर हुई थी।

आ. राजस्थान

एक वर्ष में लगभग ७० करोड़ रु. से अधिक राशि इस योजना के अधीन राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से मिलती है। ३०.६.०५ के दिन की स्थिति अनुसार इस राशि में से लगभग ८८ प्र.श. राशि खर्च की गई थी और लगभग ८८ करोड़ रु. के लगभग राशि उपयोग में लिये बगैर पड़ी रही थी। तथापि, राजस्थान और गुजरात की आवंटित राशियों में अधिक फर्क देखने में नहीं आता।

तालिका नं. १ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में राजस्थान और गुजरात

(रु. करोड़ों में)

	राजस्थान	गुजरात
२००३-०४		
(१) केंद्र द्वारा दी गई राशि	७०.५	७७.५
३०.६.०५ को		
(१) केंद्र द्वारा दी गई राशि	६४६.२५	६४४.३५
(२) जिले को ब्याज सहित मिली राशि	६५४.५५	६५९.९४
(३) स्वीकृत की गई राशि	६१०.२७	६३७.९५
(४) (३) व (२) का प्रतिशत	९४.४३	९९.०९
(५) किया गया व्यय	५६६.३८	५७१.८६
(६) (५) व (२) का प्रतिशत	८७.६४	८८.७५
(७) खर्च नहीं की गई राशि	८८.१८	८८.०८

२. सामाजिक क्षेत्र

अ. गुजरात

शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात की स्थिति अच्छी कहलाने जैसी नहीं है। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत भारत सरकार जो राशि आवंटित करती है वह राशि पूरी की पूरी उपयोग में नहीं ली जाती। २००२-०३ में आवंटित राशि की एक तिहाई से भी कम राशि खर्च की गई थी। २००४-०५ में आवंटित से थोड़ी सी ज्यादा राशि खर्च की गई, इसे तालिका नं.२ में देखा जा सकता है। इसी भांति अन्न सुरक्षा पूरी करने और विद्यालयी छात्रों के पोषण में वृद्धि करने तथा उन्हें शाला में टिकार्ये रखने के प्रयास स्वरूप चलने वाली मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में भी कोई संख्यात्मक संशोधन नहीं हुआ लगता है। तालिका नं. ३ में प्रदत्त विवरणों के अनुसार विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है, पर मध्याह्न भोजन पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि नहीं वरन् कमी हुई है। अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थी लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है, पर अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है।

गुजरात में कक्षा १ से ८ के बीच विद्यालय छोड़ने वाले बालकों का परिमाण बहुत ऊंचा है। उल्लेखनीय बात यह है कि २००२-०३ की

तालिका नं. २ : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अधीन व्यय (रु. करोड़ों में)

वर्ष	गुजरात		राजस्थान	
	भारत सरकार का योगदान	खर्च	भारत सरकार का योगदान	खर्च
२००२-०३	४६.६८	१३.८८	११३	१३५.०९
२००३-०४	२८.८८	२५.१९	१८५	१८७.५१
२००४-०५	२२.९७	२३.११	१०५	९१.५१

तालिका नं. ३ : मध्याह्न भोजन का गुजरात व राजस्थान में क्रियान्वयन

	गुजरात			राजस्थान		
	२००२-०३	२००३-०४	२००४-०५	२००२-०३	२००३-०४	२००४-०५
१. विद्यालय	२९३९१	२९१३१	३००४८	७३०६१	७३७०८	७४७१९
२. विद्यार्थी	३२५९३४१	३००४४९६	३०११०३४	७१७७७१८	७६७८१५३	७६६२१९२
३. अनुसूचित जातियां	३५४२३९	३५७२३६	३२१८१६	१३५९४३१	१८१३४५१	१५७५५४६
४. अनुसूचित जनजातियां	७३६५१	७०७९६४	७४०८४१	९५०८६९	१०७०११६	१२३२१३७

तालिका नं. ४ : गुजरात और राजस्थान में शाला बीच में छोड़ने वाले बालकों का प्र.श.

	गुजरात		राजस्थान	
	२००२-०३	२००३-०४	२००२-०३	२००३-०४
१. कक्षा १ से ५				
(अ) बालक	२६.७२	२७.२१	५४.८१	६२.०६
(आ) बालिका	२३.१४	२२.१३	५९.८६	५७.६७
(इ) कुल	२४.७७	२५.०५	५६.९३	६०.६३
२. कक्षा १ से ८				
(अ) बालक	४३.०९	५०.०२	६२.७४	६२.२४
(आ) बालिका	४८.७६	५५.९२	७२.४४	७१.१४
(इ) कुल	४५.४८	५२.५२	६६.६०	६५.७८

बजाय २००३-०४ में यह परिमाण बढ़ा है। कक्षा १ से ५ के बीच इस परिमाण में मामूली वृद्धि हुई है, पर कक्षा १ से ८ को ध्यान में लें तो इस औसत में काफी वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह है कि कक्षा ६, ७ व ८ के दौरान बहुत बड़ी तादाद में बालक अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तालिका नं. ४ में प्रदत्त विवरण बताता है कि लगभग एक चौथाई बालक कक्षा १ से ५ के बीच पढ़ाई छोड़ देते हैं और आधे

से भी अधिक बालक कक्षा १ से ८ के बीच विद्यालय से बाहर धकेल दिये जाते हैं। इस तरह प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आधे से भी कम होती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के संबंध में दसवीं पंचवर्षीय योजना की २००२-०७

**तालिका नं. ५ : गुजरात व राजस्थान में
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र - २००३-०४**

	राजस्थान	गुजरात
१. संख्या	१११	१११
२. पानी की सुविधा		
(१) नल	७.० प्र.श.	७३.९ प्र.श.
(२) कुएं	१.० प्र.श.	१.८ प्र.श.
३. टांकी व पम्प	७९.६ प्र.श.	८५.६ प्र.श.
४. सारे भाग में बिजली	९८.४ प्र.श.	९४.६ प्र.श.
५. चालू दशा में जेनरेटर	८६.१ प्र.श.	८७.३ प्र.श.
६. फोन	४९.२ प्र.श.	९५.५ प्र.श.
७. चालू दशा में वाहन	६६.६७ प्र.श.	७४.८ प्र.श.
८. ऑपरेशन थियेटर	८९.०० प्र.श.	७५.७ प्र.श.
९. प्रसूति हेतु ओ.टी.	२७.१ प्र.श.	४.८ प्र.श.
१०. अलग प्रसूति कक्ष	५२.४ प्र.श.	४७.७ प्र.श.
११. स्त्री रोगों हेतु ओ.पी.डी. सुविधा	४६.६ प्र.श.	१६.२ प्र.श.
१२. RTI/STI ओ.पी.डी. सुविधा	३६.६ प्र.श.	२.७ प्र.श.
१३. जिला ब्लड बैंक के साथ सम्बंध	१५.२ प्र.श.	१०.८ प्र.श.

अवधि के दौरान नए निवेश पर विशेष विचार नहीं किया गया। दसवीं योजना के दौरान कोई भी नया उप केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के बारे में नहीं सोचा गया। वैसे ४ नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

गुजरात में १११ सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, पर इन तमाम केंद्रों में प्राथमिक जरूरतें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। पानी, बिजली, फोन, वाहन जैसी जरूरतें भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं हैं। एक चौथाई से अधिक केंद्रों में पानी की सुविधा भी नहीं और वाहन चालू दशा में नहीं हैं। प्रसूति के लिए बुनियादी सुविधाएं - यथा, ऑपरेशन थियेटर, अलग प्रसूति गृह इत्यादि का भी केंद्रों में अभाव है। बहुत कम केंद्रों का जिला ब्लड बैंक से संबंध है। इससे संबंधित विवरण तालिका नं.५ में दिया गया है।

गुजरात भी रोजगार की दृष्टि से खेती प्रधान राज्य है। राज्य में

लगभग ५२ लाख खेतीहर मजदूर और ५० लाख किसान हैं। वैसे गुजरात किसानों की कर्ज की स्थिति के संबंध में काफी आगे है। गुजरात में ५१.९ प्र.श. किसान कर्जदार हैं। वैसे यह परिमाण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और हरियाणा से कम है।

आ. राजस्थान

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार की ओर से आवंटित राशि के व्यय के मामले में २००२-०३ और २००३-०४ के मध्य राजस्थान बहुत आगे रहा है। देश के बहुत कम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने राजस्थान की भांति इस कार्यक्रम के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त राशि जितना खर्च किया हो। इसी भांति मध्याह्न भोजन योजना में भी राजस्थान में भौतिक प्रगति अधिक उत्तम दिखती है। मध्याह्न भोजन योजना चलाने वाली पाठशालाओं की संख्या बढ़ी है और उसका लाभ लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वैसे २००३-०४ की तुलना में २००४-०५ में उसमें थोड़ी कमी दर्ज हुई है।

अधबीच में पाठशाला छोड़ जाने वाले बालकों का परिमाण राजस्थान में गुजरात से बहुत ज्यादा है। कक्षा १ से ५ में ६०.६३ प्र.श. बालक पाठशाला छोड़ जाते हैं। कक्षा १ से ५ के संदर्भ में पाठशाला छोड़ जाने वाले बालकों का परिमाण बढ़ा है, पर कक्षा १ से ८ के मामले में वह थोड़ा घटा है। वैसे कक्षा १ से ८ में पाठशाला छोड़ जाने वालों में लड़कियों का परिमाण लड़कों की तुलना में बहुत ज्यादा है। वैसे यह अत्यंत धीमी गति से घटता जा रहा है।

राजस्थान में १०वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए उप केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का तय नहीं किया गया। वैसे नए ४९ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का लक्ष्य तय किया गया है। उसमें २००४-०५ का लक्ष्य १२ केन्द्रों का था। राजस्थान में १९१ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। गुजरात की तुलना में यह संख्या बहुत अधिक है। परंतु इन केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का बहुत अधिक अभाव है। विशेष रूप से पानी के लिए नल सिर्फ ७ प्रतिशत केंद्रों में ही हैं। प्रसूति संबंधी ऑपरेशन थियेटर लगभग एक चौथाई केंद्रों में ही हैं। जिलों के ब्लड बैंक के साथ सिर्फ १५ प्र.श. केंद्रों का ही

तालिका नं. ७ : गुजरात और राजस्थान में न्याय व्यवस्था

	गुजरात	राजस्थान
१. गुजरात में ता.३१.१२.२००३ को और राजस्थान में ३१.१२.२००४ को उच्च न्यायालय में		
(अ) बकाया केस	१४१६३३	१७०७०५
(आ) पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया केस	१६९४४	१५३२०
२. १.१२.२००४ को जिले व निचली अदालतों में		
(अ) न्यायमूर्तियों की निर्धारित संख्या	८९६	८३५
(आ) नियुक्त	७२७	६६५
(इ) रिक्त स्थान	१६९	१७०
३. गुजरात में ३१.१२.२००४ को और राजस्थान में ३०.०६.०४ को निचली अदालतों में बाकी केस		
(अ) दीवानी केस	७७५७६२	३३३९७९
(आ) फौजदारी केस	३०७१६८१	६६७९३९
(इ) कुल	३८४७४४३	१००१९१८
४. उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति (३१.४.०५ को)		
(१) स्वीकृत पद	४२	४०
(२) वर्तमान संख्या	३४	२८
(३) रिक्त पद	८	१२
५. फास्ट ट्रेक अदालतें		
(१) निर्धारित	१६६	८३
(२) चालू	१६५	८३
(३) केसों का निपटान	२६१०२	२१९९६

सम्बंध है। राजस्थान में ५२.४ प्र.श. किसान कर्जदार हैं। याने हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु आदि राज्यों की तुलना में यह परिमाण अधिक है। वैसे इस कर्ज का उपयोग ३७.३ प्र.श. मामलों में ही खेती के लिए होता है और ८.८ प्र.श. मामलों में खेती के अलावा अन्य धंधों हेतु उपयोग होता है।

३. न्याय व्यवस्था

अ. गुजरात

गुजरात में न्याय व्यवस्था देश के अन्य भागों की तरह ही धीमी रफ्तार की है। ३१.१२.२००३ को गुजरात के उच्च न्यायालय में बकाया केस १,४१,६३३ थे और ये देश के सभी उच्च न्यायालयों

के बकाया केसों का लगभग ४.११ प्र.श. है। वैसे पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया केसों का प्रतिशत २.७६ ही है। जिलों और निचली अदालतों में न्यायमूर्तियों के १६९ पद रिक्त हैं, जो पूरे देश के रिक्त पदों का ६.१४ प्र.श. है। वैसे निचली अदालतों में बकाया केसों में गुजरात बहुत आगे है। तालिका नं.६ प्रदत्त विवरण के अनुसार कुल ३८,४७,४४३ केस बाकी थे और ये देश के कुल बकाया केसों का लगभग १६.४४ होता है।

फौजदारी केसों में यह परिमाण १८.४१ के करीब है और दीवानी केसों में ११.५६ प्र.श. के करीब है। गुजरात के उच्च न्यायालय में न्यायमूर्तियों के ८ पद रिक्त हैं और यह देश के कुल रिक्त पदों

का ५.७१ प्र.श. है। वैसे गुजरात फास्ट ट्रेक अदालतें स्थापित करने के मामले में देश में अनेक राज्यों से आगे है। इनमें २६,१०२ केसों का निपटान हुआ है। वैसे, निचली अदालतों के बकाया केसों की दृष्टि से देखें तो उनमें आधा प्र.श. से कुछ ही ज्यादा केसों का निपटारा फास्ट ट्रेक अदालतों द्वारा हुआ है।

सरदार सरोवर बांध के प्रभावित लोग

दो गांवों के निवासियों ने सार्वजनिक हित की एक अर्जी में सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे आदेश की मांग की है कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई ११० मीटर की ऊंचाई से प्रभावित होने वाले समस्त परिवारों का सभी मामलों में पुनर्वास होने तक सारा निर्माण-कार्य

और बांध की ऊंचाई को बढ़ाने से रोका जाए। बांध की ऊंचाई ९५ मीटर से १०० मीटर हुई थी उस दौरान जो लोग प्रभावित हुए थे उन परिवारों ने ही अर्जी दी थी। उन्होंने ऐसा दावा किया था कि स्थायी और अस्थायी प्रभावित लोगों के बीच कोई फर्क नहीं किया जा सकता तथा परियोजना से प्रभावित परिवारों के बड़े पुत्रों का समावेश परिवार की व्याख्या में किया जाना चाहिए और उनको अलग कुटुम्ब गिना जाना चाहिए। इससे उन्हें नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल एवार्ड की शर्तों के अधीन अलग इकाई के आवंटन का अधिकार है। अदालत ने बताया कि जो वयस्क पुत्र अपने पिता की मृत्यु के कारण भूमि-धारक बने हैं वे उनके मृत पिता के नाम पर मिलने वाली जमीन के स्थान पर वैकल्पिक जमीन का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

तालिका नं.७

राजस्थान और गुजरात में पंचायती राज में प्रतिनिधिगण

	राजस्थान	गुजरात
१. ग्राम पंचायतें	९१८९	१३८१९
(१) कुल निर्वाचित प्रतिनिधि	११४२८२	८३२१३
(२) सामान्य	७००२७	५६०२८
(३) अनुसूचित जाति	२४१२९	९८९५
(४) अनुसूचित जनजाति	२०१२६	१७२९०
(५) महिलाएं	३९४५०	४०९८५
२. तहसील पंचायतें	२३७	२२५
(१) कुल निर्वाचित प्रतिनिधि	५२५७	२७६८
(२) सामान्य	३४३४	१९५३
(३) अनुसूचित जाति	९६८	२६५
(४) अनुसूचित जनजाति	८५५	५५०
(५) महिलाएं	१९०८	१३९३
३. जिला पंचायतें	३२	२५
(१) कुल निर्वाचित प्रतिनिधि	१००८	५४४
(२) सामान्य	६५३	३९०
(३) अनुसूचित जाति	१९१	३९
(४) अनुसूचित जनजाति	१६४	११५
(५) महिलाएं	३६४	२७५

नदी जोड़ केस

सर्वोच्च न्यायालय में देश की नदियों को जोड़ने की परियोजना विषयक जो केस चल रहा है उसके संदर्भ में केंद्र के जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत शपथनामे में बताया गया है कि गुजरात सरकार अपनी वेबसाइट पर योग्यता-विवरण देने हेतु सहमत नहीं हुई। तापी-नर्मदा और दमणगंगा-पिंजल योजनाओं के संदर्भ में यह बात प्रस्तुत की गई है।

आ. राजस्थान

राजस्थान में भी न्याय व्यवस्था देश के अन्य भागों से अधिक द्रुत न्याय देने वाली कैसे हो सकती है? राजस्थान में ३१.१२.२००४ को उच्च न्यायालय में १,७०,७०५ केस बाकी थे और उनमें से लगभग ९ प्र.श. केस पांच वर्ष से भी अधिक समय से बाकी थे। जिला व निचली अदालतों में १० लाख से अधिक केस बाकी हैं और उनमें ६७ प्रतिशत केस फौजदारी हैं।

फास्ट ट्रेक अदालतों ने मात्र २२,००० केसों का निपटारा किया है जो कुल बाकी केसों में मात्र ०.०२ प्र.श.। केसों के बाकी होने का एक महत्वपूर्ण कारण न्यायमूर्तियों की भर्ती के संबंध में राज्य सरकार की ढीली नीति है। राजस्थान सरकार को १७० न्यायमूर्तियों की जिला व निचली अदालतों में और १२ न्यायमूर्तियों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति करना शेष है।

तालिका नं. ८
गुजरात में और राजस्थान में पंचायती राज

	गुजरात	राजस्थान
१. पंचायतों को सौंपे गए विषय	१५	१५
२. प्रथम वित्त आयोग		
(१) रचना	१५.९.९४	२३.४.९४
(२) प्रतिवेदन		३१.१२.९५
(अ) पंचायतें	१३.७.१९९८	
(आ) पालिकाएं	अक्टूबर-१९९८	
(३) कार्यवाही रिपोर्ट	सौंपा नहीं गया	१६.३.९६
(४) समयावधि	१९९६-९७ से २०००-०१	१९९५-९६ से १९९९-२०००
३. द्वितीय वित्त आयोग		
(१) रचना	१९.११.२००३	७.५.१९९९
(२) प्रतिवेदन	सौंपा नहीं गया	३.८.२००१
(३) कार्यवाही रिपोर्ट		२६.३.२००२
(४) समयावधि	२००५-०६ से २००९-१०	२०००-०१ से २००४-०५

४. स्थानीय स्वशासन

ग्रामीण स्वशासन

अ. गुजरात

७३वें संविधान संशोधन ने पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए ३३ प्र.श. आरक्षण की व्यवस्था की है। उसके परिणामस्वरूप गुजरात पंचायत कानून १९९३ में भी ग्राम, तहसील, और जिला पंचायत स्तरों पर महिलाओं हेतु ३३ प्र.श. आरक्षित पदों की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सदस्य पद ओहदे दोनों के लिए है। उल्लेखनीय बात यह है कि गुजरात में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तीनों स्तरों की पंचायतों में निर्धारित ३३ प्र.श. आरक्षण से काफी अधिक है। ग्राम पंचायतों में यह ४९.२५ प्र.श. तहसील पंचायतों में यह ५०.३३ प्र.श. और जिला पंचायतों में ५०.५५ प्र.श. है। इससे संबंधित विवरण तालिका नं.७ में दिया गया है। इस प्रकार, पंचायतों में महिलाओं को लगभग ५० प्र.श. प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

राज्य वित्त आयोग की स्थापना हर पांच वर्ष से करने की व्यवस्था

गुजरात पंचायत कानून-१९९३ में की गई है। यह व्यवस्था ७३वें संविधान संशोधन के अनुसार की गई है। गुजरात में प्रथम वित्त आयोग १९९४ में नियुक्त किया गया था और उसने दो टुकड़ों में प्रतिवेदन १९९८ में दिया था। १९९६-९७ से पांच वर्ष की अवधि हेतु यह प्रतिवेदन था, अतः यों कहना चाहिए कि प्रतिवेदन क्रियान्वयन की समयावधि शुरू होने के दो वर्ष बाद आया दूसरे, वित्त आयोग तो वास्तव में २०००-०१ से पहले नियुक्त होना चाहिए और उसके अमल की समयावधि २००१-०२ से २००५-०६ की होनी चाहिए। परंतु द्वितीय वित्त आयोग २००३ के अंत में गठित किया गया और उसके क्रियान्वयन का समय २००५-०६ से २००९-१० रखा गया है। इस आयोग का प्रतिवेदन अब तक नहीं सौंपा गया। इस तरह, २००१-०२ से २००४-०५ की समयावधि वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रियान्वयन के बगैर गिनी जाएगी।

यद्यपि, प्रथम वित्त आयोग की सभी सिफारिशों का क्रियान्वयन गुजरात सरकार द्वारा नहीं किया गया। इस प्रतिवेदन के बारे में विधानसभा में कार्यवाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया। वैसे

तालिका नं. ९
३१.३.२००४ को शहरी विकास प्रोत्साहन निधि की स्थिति

	गुजरात	राजस्थान
१. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि	२७.२.२००४	२९.३.२००४
२. प्रति बस्ती कुल वार्षिक आवंटन	३३.१ करोड़	२३.१५ करोड़
३. विकास के विषय में सहमति	तमाम	कुल ४
४. सहमत विकास के अनुसार मान्य आवंटन (करोड़ रु. में)	३३.१ करोड़	११.५७५
५. प्रथम किस्त की राशि (करोड़ रु. में)	१६.५५	५.७८७५

देखें तो, २००५-०६ से पहले तीसरे वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए था और उसका प्रतिवेदन आ जाना चाहिए था।

पंचायती राज के संदर्भ में गुजरात के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें निम्नानुसार हैं :

१. केन्द्र के पंचायती राज मंत्रालय ने २००४-०५ के दौरान देश भर में सात गोलमेज परिषदें आयोजित की थीं। इन परिषदों में कई प्रस्ताव पेश किये गए थे। इन प्रस्तावों के भाग स्वरूप अन्य कई राज्यों के साथ-साथ गुजरात में भी पंचायतों को कौन-कौन से काम सौंपे गए हैं जो जो उनकी सूची बनाने का काम गुजरात सरकार और गैर-सरकारी संगठन साथ मिल कर कर रहे हैं।
२. राज्य सरकारों ने बहुत बार ऐसे प्रयास किए हैं कि पंचायतों के चुनाव समय पर आयोजित न हों गुजरात में तहसील पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनाव स्थगित रखने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था। उसके पश्चात् उसके विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय ने अक्टूबर २००५ तक चुनाव आयोजित करने हेतु आदेश दिया था। इसके अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने एक माह की समयावधि में ही चुनाव आयोजित किये थे। वैसे राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र व न्यायी चुनाव समय पर आयोजित करने के लिए सक्षम नहीं है।
३. गुजरात में पंचायत चुनावों में दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बन सकें, इस तरह की हलचल

गुजरात सरकार ने प्रारंभ की थी। तथापि, बाद में उस विचार को स्थगित कर दिया था।

४. गुजरात सरकार ने ग्राम पंचायतों में चुनाव आयोजित न हो इसके लिए और ग्राम पंचायत 'समरस' बने ऐसी जो एक योजना पहले से चलती थी उसमें प्रोत्साहन हेतु इनाम को बढ़ाकर ६०,००० रु. करके इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्व-सम्मति से ग्राम पंचायतों के सदस्य और सरपंच चुने जाते हैं, तब बहुधा समाज के पिछड़े वर्गों की आवाज दब जाती है और उसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक सिद्धांतों का बलिदान हो जाता है।
५. पंचायतों हेतु प्रामाणिक और टैक्निकल कैडर निर्मित करने से विकेंद्रित ड्यूटी के लिए मात्र आंशिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आते हैं वे अपने मूल विभाग के प्रति अधिक लगाव रखते हैं, इसका कारण यह है कि कैडर पर नियंत्रण उस विभाग के पास ही रहता है। गुजरात सरकार ने पंचायती राज हेतु अलग कैडर की स्थापना की है, पर उसके पास कैडर के ऊपर स्वायत्त नियंत्रण नहीं है।
६. गुजरात में तमाम २५ जिला पंचायतों और तमाम २२५ तहसील पंचायतों को इलेक्ट्रॉनिक जोड़ने हेतु 'गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क' (जीस्वान) की रचना हुई है। कई ग्राम पंचायतें भी इस तरह की श्रृंखला जोड़ने हेतु प्रयास कर रही हैं।

आ. राजस्थान

राजस्थान में भी पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या ३३ प्र.श. की कानूनी जरूरत से अधिक है। वैसे यह संख्या थोड़ी-सी ही अधिक है। ग्राम पंचायतों में ३४.५२ प्र.श. तहसील पंचायतों में ३६.२९ प्र.श. और जिला पंचायतों में ३६.११ प्र.श. प्रतिनिधि महिलाएं हैं। गुजरात की तुलना में यह मात्रा बहुत कम है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सामान्य सीटों पर बहुत कम महिलाएं चुन कर आती हैं।

राज्य वित्त आयोग के संबंध में राजस्थान में की गई कार्यवाही गुजरात की तुलना में तीव्र है। वैसे क्रियान्वयन की समयावधि शुरू होने के बाद ही वित्त आयोग का प्रतिवेदन आया है।

राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज सम्बंधी कई उल्लेखनीय बातें तालिका नं.९ में दी गई हैं।

(१) राजस्थान में जयपुर जिले की गोपालपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच के पद हेतु नीलामी हुई थी। उसमें जातिवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस ग्राम पंचायत में गुर्जरो की बस्ती अधिक है और सरपंच की सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी। अतः कई गुर्जर नेताओं ने सरपंच के पद की बोली तय कर दी। गाँव की चौपाल में ही इसकी घोषणा की गई और भरसा दिलाया गया कि जो सबसे ऊंचे भाव बोलेगा उसीका सर्वानुमति से चयन होगा। १४ जनवरी २००५ को यह नीलामी हुई। मतदान को अभी दो सप्ताह की देर थी। उसके लिए कम से कम मूल्य ५०,००० रु. तय किया गया। मदन कंजर नामक व्यक्ति ने सबसे अधिक २.७ लाख रु. की बोली बोली और उसमें से ७०,००० रु. अग्रिम भुगतान भी किया गया। अतः सरपंच का पद उसे दिया गया। पर कलेक्टर को पता लगा और उसने जाँच की। जाँच करने के बाद मदन कंजर के अलावा बोली में भाग लेने वाले अन्य तीन व्यक्तियों, भूतपूर्व नायब सरपंच मातादीन गुर्जर और स्थानीय शिक्षक हंसराम गुर्जर की धरपकड़ की गई।

(२) राजस्थान में भी पंचायतों को ७३वें संविधान संशोधन के

बाद जो-जो काम सौंपे गए हैं, उसकी सूची बनाने का काम राजस्थान सरकार और गैर-सरकारी संगठन साथ मिल कर कर रहे हैं।

(३) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक अस्वीकृति एक अत्यंत चिंताजनक विषय रहा है। राजस्थान में तो टोंक जिले के देवली ग्राम पंचायत की दलित महिला सदस्या सुश्री सोसोर देवी को तहसील पंचायत के चुनाव के दौरान माधोपुर जिले में लगभग तमाम महिला सरपंचों के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने चुनाव के पश्चात् प्रथम दो वर्ष की अवधि में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सके ऐसी कानूनी व्यवस्थाएँ कीं।

शहरी स्वशासन

७४ वें संविधान संशोधन ने पालिकाओं को स्वशासन की शहरी संस्थाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता दी है। गुजरात सबसे अधिक शहरी बस्ती वाले राज्यों में अग्रणी है। अहमदाबाद ४५.२५ लाख की आबादी के साथ मेगा सिटी का दर्जा रखता है और १० लाख से अधिक बस्ती वाले शहरों में गुजरात के बड़ौदा, सूरत व राजकोट शामिल हैं। राजस्थान में १० लाख से अधिक आबादी वाला एक मात्र शहर है - राजधानी जयपुर। १० लाख से कम आबादी वाले शहरों में अजमेर शामिल है।

गुजरात में पालिका और महानगर पालिकाओं सहित १४७ नगर हैं। गुजरात सरकार ने पालिकाओं द्वारा प्रदत्त शहरी नागरिक सुविधाओं हेतु निजी सहभागिता खड़ी करने के प्रयास किये हैं और साथ ही साथ पालिकाओं की शासन व्यवस्था में सुधार करने संबंधी सुधार भी किये हैं, उसमें गुजरात व राजस्थान सरकार ने २००४ के बाद क्रियान्वयन की शुरूआत की है। इस योजना संबंधी विवरण तालिका नं.९ में दिया गया है।

लेखक : सर्व श्री अजय के. मेहरा, विदेह उपाध्याय, अमित प्रकाश, बिनोय आचार्य, लीला जॉन। संपादक : अमिताती बेहर, जॉन सम्युअल, जगदानंद, योगेशकुमार। प्राप्ति स्थान : पियर्सन एज्युकेशन इन साउथ एशिया ४८२, एफ.आई.ई. पटपड़गंज, दिल्ली-११००९२, मूल्य ४०० रु.

कौमी हिंसा निवारण अधिनियम

केन्द्र सरकार ने कौमी हिंसा को काबू करने के लिए एक कानून बनाने की सोची है। यह कानूनी मसौदा तैयार हो गया है और इस मसौदे के आगामी कुछ समय में संसद द्वारा पारित किए जाने की संभावना है। इस कानून की विविध व्यवस्थाएँ साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के मामले में कितनी उपयोगी हैं और उनमें किन-किन व्यवस्थाओं में बदलाव जरूरी है ताकि कानून अधिक प्रभावी बन सके, इस सम्बंध में विभिन्न विशेषज्ञों ने जो मंतव्य व्यक्त किये हैं उन्हें यहां दिया जा रहा है।

श्री गिरीश पटेल

इस कानून का आमुख इसके हेतुओं और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। इसमें संविधान का मूलभूत आधार धर्म निरपेक्षता है, संविधान की कलम-३५५ के अंतर्गत राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र की है, इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। अतः यह कानून लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और स्वायत्त राज्य की रक्षा कर सकता है या नहीं, यह देखने की जरूरत है। वर्तमान में कौमी हिंसा को रोकने के लिए विभिन्न कानून हैं। यथा, भारतीय दंड संहिता, फौजदारी कार्यविधि अधिनियम, पुलिस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, अत्याचार विरोधी अधिनियम इत्यादि। यह देखना ज्यादा महत्त्व का है कि किस वजह से ये कानून असरकारी नहीं रहे। क्या उनमें कोई कमी है या फिर राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण उनका बराबर क्रियान्वयन नहीं होता ?

इस कानून में धार्मिक, वंशगत, भाषागत, प्रादेशिक और जातिगत हिंसा या संघर्षों को एक साथ स्थान दिया गया है। वास्तव में, ये संघर्ष या हिंसा अलग-अलग हैं और इनके लिए अलग-अलग अभिगम जरूरी हैं। एक ही कानून सब के लिए प्रभावी नहीं हो सकता, जैसे अत्याचार विरोधी अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए है, तो फिर क्यों इस नए कानून में इस हिंसा को भी शामिल किया गया है? देश के लिए खतरनाक समस्या कौमी हिंसा है और इसका

मुकाबला अलग ढंग से करना चाहिए।

कौमी हिंसा को वर्तमान में दो भाग में बांटा जा सकता है :

(१) कौमी दंगों संबंधी सामान्य मामले जिनमें स्वरूप स्थानीय हो और कुछ दलों तक ही सीमित हो तथा उसको अधिक राजनीतिक आधार न मिला हो। (२) राज्य द्वारा प्रेरित हिंसा हो या राज्य की सहायता व समर्थन से हुई हिंसा हो, या जिसे राजनीतिक या शक्तिशाली सामाजिक दलों का समर्थन मिला हो। कोई एक कानून इन दोनों प्रकार की कौमी हिंसा को रोकने में समर्थ नहीं होगा। यह प्रस्तावित अधिनियम अल्पसंख्यकों की रक्षा हेतु और उनमें विश्वास व श्रद्धा पैदा करने के लिए है। परंतु कलम-३ और कलम-४ की व्यवस्थाएं किसी भी धार्मिक दल के विरुद्ध हिंसा के तमाम मामलों को समेट नहीं पाती हैं। वे अल्पसंख्यक दलों की हिंसा को भी समेट लेती हैं। अतः ऐसी संभावना रहती है कि टाडा और पोटा जैसे कानूनों की तरह इस अधिनियम का उपयोग भी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किया जाएगा।

प्रस्तावित अधिनियम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कौमी हिंसा रोकने के लिए कौमी दृष्टि से अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है। क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों साथ मिलकर वाकई ऐसी घोषणा करेंगे? विशेष रूप से जब दोनों सरकारें एक ही दल की या एक ही गठबंधन की होंगी तब यह संभव नहीं होगा। वास्तव में उस समय दोनों सरकारें कानून का दुरुपयोग करेंगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकार को इस कानून में पुलिस दल के उपयोग, धरपकड़, अवरोध, देखते ही गोली चलाने के हुकम का अधिकार, धार्मिक स्थलों, एवं परिसर की छानबीन की अधिकार शास्त्र या तमाम वस्तुएं जब्त करने का अधिकार दिया गया है। ये तमाम व्यवस्थाएं अनेक कानूनों में हैं ही और इसके बावजूद कौमी दंगे हुए ही हैं।

जमानत देने हेतु इस कानून में व्यवस्थाएं सख्त बनाई गई हैं, वे टाडा और पोटा की व्यवस्थाओं जैसी ही हैं। ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अनिश्चित अवधि के अवरोध

हेतु इन व्यवस्थाओं का उपयोग होने की संभावना रहती है। अधिकांश व्यवस्थाएं असम में सशस्त्र दल अधिनियम की जो व्यवस्थाएं हैं वैसी ही हैं।

खास अदालतों की स्थापना के संबंध में बहुत कुछ बाधाजनक नहीं है, परंतु फौजदारी न्याय में पुलिस जांच करने वाली होती है। ऐसे समय में वे तटस्थ व निष्पक्ष तथा वस्तुपरक रहेगी, ऐसा किस भरोसे के साथ कहा जा सकता है। पीड़ितों को अदालत के द्वारा मुआवजा दिलाए जाने की व्यवस्था इस कानून में की गई है। यह स्वागत योग्य है। प्रकरण-५ में राहत व पुनर्वास हेतु व्यवस्थाएं हैं। वे बहुत अच्छी हैं और अभिनंदनीय हैं। परंतु राहत और पुनर्वास परिषद अधिक प्रभावी रूप से, समय पर और अर्थ पूर्ण ढंग से काम करे, यह जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना होगी और इसी भांति केंद्र स्तर पर भी स्थापना होगी, तब उसमें दलीय स्तर से ऊपर उठने की जरूरत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाना भी आवश्यक है। कौमी हिंसा को रोकने के लिए अग्रिम कदम उठाये जाने अधिक महत्वपूर्ण हैं। पर उसके बारे में इस कानून में कई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। अत्याचार विरोधी अधिनियम में इस बारे में बहुत-सी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। उकसाने वाले प्रवचनों और अपराध के विरुद्ध फरियाद हो, इस हेतु विशेष और अलग अदालतों का गठन होना चाहिए। ऐसे मामलों में द्रुत कार्यवाही और स्पष्ट सजाएं देना जरूरी है। ऐसा होगा तभी कौमी हिंसा का बीज नष्ट हो सकेगा।

श्री कोलिन गोन्साल्विस

इस दस्तावेज की एक खतरनाक व्यवस्था यह है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब तक किसी इलाके को कौमी दृष्टि से अशांत क्षेत्र घोषित न करे तब तक इस कानून का क्रियान्वयन वहां नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी राज्य सरकार को केंद्र का समर्थन होगा तो वह कौमी हिंसा के अपराध होने देगी और छिटक भी जाएगी। इस अर्थ यह हुआ कि बहुत गंभीर मामलों में ही इस कानून का उपयोग किया जा सकेगा। विशेष रूप से जहां जान-माल की हानि होती हो और देश की एकता के सामने खतरा उत्पन्न होता हो, ऐसी परिस्थितियों में ही इस अधिनियम की व्यवस्थाएं उपयोगी रहेंगी।

प्रकरण-३ में सशस्त्र दल विशेष सुरक्षा धारा की व्यवस्थाओं जैसी ही व्यवस्थाएं इस अधिनियम में की गई हैं। इसमें सेना को उसकी इच्छानुसार मध्यस्थता करने तथा किसी को भी मार डालने की इजाजत दी गई है। कलम-१० में पुलिस और सेना यदि असंवेदनशील बनें, तब भी उनके समक्ष कोई कार्यवाही न करने की, व्यवस्था की गई है। कलम-२२ में जमानत और रिमांड के बारे में पोट्टा जैसी ही व्यवस्थाएं की गई हैं। जो पोट्टा कानून वापिस लिया गया उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। इस कानून में कौमी अपराधों की कहीं भी व्याख्या नहीं दी गई है। अपराधों के सुपरिचित प्रकारों के अलावा इसमें अन्य प्रकार के अपराधों का समावेश कौमी अपराध के रूप में करने की जरूरत है। यथा, महिलाओं के साथ अपराध, सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार, अनिवार्य स्थलांतरण, सार्वजनिक स्थानों पर जाने हेतु नियंत्रण, निवासों का विभाजन, अन्न और दवाओं की प्राप्ति से वंचितता, अनिवार्यतया अदृश्य हो जाना, शिक्षा के अधिकार में दखलंदाजी, धमकियां देने हेतु धार्मिक प्रसंगों और शस्त्रों का उपयोग, पुलिस की कार्यवाही में दखलंदाजी करना, किसी धार्मिक स्थल को नष्ट करने हेतु हिमायत करना इत्यादि अपराधों को कौमी अपराध मानना चाहिए।

यदि पुलिस और सुरक्षा दलों के सदस्य कौमी अपराध करें तो और उनके विरुद्ध एफ.आइ.आर. दर्ज न हो, अथवा योग्य तरीके से दर्ज न हो, किसी सम्पत्ति को नष्ट होते वे न रोकें, उचित मात्रा में दल तैनात न किये जाएं तो उनको दंडित करने के लिए भी एक अलग प्रकरण इस अधिनियम में हैं। इस तरह सुरक्षा बल यदि अपना कर्तव्य न बजाएं तो उन्हें दंडित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

फौजदारी कार्यविधि अधिनियम की कलम-१९५, १९६ और १९७ में सुरक्षा दलों को जो सुरक्षा दी गई है, उसे इस कानून के संदर्भ में रद्द करना चाहिए। कोई भी जूनियर पुलिस अधिकारी ऐसा बचाव न कर सके या उसके ऊपर वाले अधिकारी ने उसे वह अपराध करने की आज्ञा दी थी, इस संबंध में भी इस कानून में व्यवस्था होनी जरूरी है। इसी भांति कोई भी अधिकारी ऐसा भी बचाव नहीं कर पाये कि उसकी पीठ पीछे जो अपराध हुए हैं उनका उसे कोई पता नहीं है। फिर, जो सरकारी वकील आरोपी का पक्ष लें और उनको जमानत दिलाएं अथवा उन्हें निर्दोष छूट जाने में मदद करें, ऐसे वकीलों के खिलाफ भी जांच की व्यवस्था होनी

जरूरी है। यदि कोई मंत्री आरोपी को संरक्षण दे और पुलिस के काम में अड़ंगे लगाए या पुलिस की जांच को गलत रास्ते ले जाए अथवा पीड़ितों को राहत प्राप्त करने में अवरोध डाले तो उनको कौमी अपराध मानना चाहिए।

इस मसौदे में जहां कौमी दंगे हों वहां वर्तमान सत्ताधिकारियों के कर्तव्य के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सत्ताधिकारी फौरन राहत प्रदान करें, अधिक हिंसक घटनाएं घटने से रोकें, हिंसा से प्रभावित होने वालों की और उनके नुकसान की सूची बनाए, उनको कानूनी मदद प्रदान करें और कानूनी कार्यवाही के समय सुविधाएं प्रदान करें, इस संबंध में एक अलग कलम की जरूरत इस कानून में महसूस होती है।

सुश्री तीस्ता सेतलवाड़

प्रस्तावित कानून कौमी हिंसा से ग्रसित क्षेत्र को कौमी दृष्टि से अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित करने का और वहां स्थानीय पुलिस को मदद देने हेतु केन्द्रीय दल भेजने का अधिकार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को देता है। इस प्रकार, कौमी अशांति रोकने और कानून का शासन लगाने की जिम्मेदारी राज्यों और केन्द्र दोनों की है, ऐसा यह कानून बताता है। यदि सरकारी वकील साक्षियों की सुरक्षा के कारणों से विशेष अदालत का स्थान बदलने के लिए अनुरोध करे तो अदालत को इस कानून के अंतर्गत अधिकार हैं। इसी भांति, सर्वोच्च अदालत को भी कोई केस एक विशेष अदालत से दूसरी विशेष अदालत में परिवर्तित करने हेतु अधिकार दिये गए हैं। इसमें विशेष अदालतें राज्य के कार्यक्षेत्र से बाहर स्थापित करने की व्यवस्था है। यह कानूनी व्यवस्था अभिनंदनीय है। इस कानून की कलम-३० में ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी तथ्य के आधार पर शिकायत मिले अथवा पुलिस ऐसी हकीकतों के विषय में ब्यौरे दे तो विशेष अदालत उस जानकारी को ध्यान में लेकर उस अपराध के संदर्भ में कार्यवाही चला सकती है। फौजदारी अपराध के संदर्भ में यह एक अत्यंत उल्लेखनीय परिवर्तन है और मानवधिकार समूह, अल्पसंख्यक समूह और मीडिया के व्यक्तियों सहित कोई भी व्यक्ति ऐसी अदालतों को अपनी शिकायत भेज सकता है।

कलम-३२(१) में साक्षियों और प्रभावितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष अदालत अपने समक्ष कोई भी साक्षी

अनुरोध करे तो, अथवा सरकारी वकील अनुरोध करे, तो साक्षी का पता और पहचान गुप्त रखने की भी व्यवस्था कर सकती है। उसके उपरांत, सुरक्षित स्थान पर अदालत की कार्यवाही चले, साक्षियों के नाम और पत्तों के उल्लेख को टाला जा सके आदि की व्यवस्था भी इस कलम में की गई है।

जिले या शहर के प्रशासन तंत्र की जिम्मेदारी ठेठ ऊपर से निचले स्तर तक तय करने की व्यवस्था इस कानून में नहीं की गई, यह इस कानून की सबसे बड़ी खामी है। कमिश्नर कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, मुख्य सचिव, गृह सचिव, केबिनेट मंत्रियों और अंततः प्रधान मंत्री समेत उत्तरदायित्व तय हो, यह जरूरी है। आइ.ए.एस. और आइ.पी.एस. अधिकारियों की फौजदारी जिम्मेवारी तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों व प्रधानों की जिम्मेवारी तय करने वाली कोई स्पष्ट व्यवस्था इस कानून में नहीं है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अदालतों की कार्यवाही पर देखरेख रखने का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि इससे संबंधित व्यवस्था इस कानून में हो।

इस कानून में यह सूचित किया गया है कि एक बार किसी क्षेत्र को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार कौमी दृष्टि से अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित करे, उसके बाद ही कलम-१(१), (२), (३), (४), (५) और कलम-१० के अंतर्गत सक्षम सत्ताधिकारी को हिंसा फैलने से रोकने हेतु सख्त कदम उठाने का अधिकार है। यह सक्षम सत्ताधिकारी स्थायी नहीं है और इस कानून के अधीन जो रचना है वह अपर्याप्त है। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार कलम-३(४) के अनुसार जो सक्षम सत्ताधिकारी की नियुक्ति करती है उसमें मात्र राज्य सरकार के एक या अधिक अधिकारियों का समावेश होता है। यह बात उचित नहीं है। वास्तव में इस संबंध में एक स्थायी संस्था होनी चाहिए और उसकी रचना में अधिकारी कम होने चाहिए।

इस कानून में कौमी हिंसा रोकने हेतु कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं प्रकरण-३ की कलम-५ से कलम-१८ में की गई हैं। इसमें जिला मजिस्ट्रेट तथा सक्षम सत्ताधिकारी को शांति भंग रोकने के लिए अधिकार दिये गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जिला मजिस्ट्रेट उसे प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है तो वह उत्तरदायी होगा। इस कानून

के अधीन कौमी अपराधों हेतु दंड की व्यवस्था कलम-१९ में की गई है। वर्तमान कानूनों के अधीन जो व्यवस्थाएं हैं उनकी बजाय अधिक सजा और दंड की व्यवस्था की गई है।

कलम-२२ में एक बार किसी क्षेत्र को कौमी दृष्टि से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो फिर जांच किस तरह की जाए, इस बारे में व्यवस्था की गई है। एक बार एफ.आइ.आर. दर्ज की जाए, फिर तीन माह में आरोप पत्र बनाया जाए, यह जांच अधिकारी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह एक स्वागत योग्य व्यवस्था है। यदि तीन माह में आरोपपत्र न बनाया जाए तो यह जरूरी है कि आइ.जी.पी. स्तर के किसी अधिकारी को अध्यक्षता में समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा हाथ में ली जाए। इस समिति को ऐसे अधिकारी द्वारा फिर से जांच करने का आदेश देने का अधिकार दिया गया है जो डी.एस.पी. से कम दर्जे का न हो। विभिन्न दंगों के बारे में प्राप्त अनुभव यह दर्शाता है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति और उनकी योग्यता के संदर्भ में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व होना जरूरी है। वैसे यह आघातजनक बात है कि इस कानून में इस संदर्भ में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री हर्ष मंदर

मजिस्ट्रेट और पुलिस की जो सत्ता इस मसौदे में तय की गई है वह दूसरे कई कानूनों में मौजूद है, अतः इस मसौदे का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा लगता है कि पोटा और सशस्त्र दल अधिनियम की कई दमनकारी व्यवस्थाएं इसमें भी हैं और उनका दुरुपयोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो सकता है।

कलम-१७ (१) में जो सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहते हैं उनकी सजा की व्यवस्था की गई है। उसमें एक वर्ष तक की कैद अथवा दंड अथवा दोनों का समावेश है। जो अधिकारी प्रदत्त सत्ता का बुरी नीयत से दुरुपयोग करते हैं या जिनसे किसी व्यक्ति को चोट या नुकसान पहुंचे या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचे तो उसे सजा हो सकती है। इसके उपरांत, कोई कौमी हिंसा रोकने में सरकारी अधिकारी निष्फल रहता है तो, और इस कानून के अधीन वह प्रदत्त कानूनी सत्ता का उपयोग करना इरादतन टाले तो भी उसे सजा हो सकती है। परंतु ऐसी खामियों के लिए गृह मंत्री या मुख्य मंत्री जैसे निर्वाचित नेताओं को उत्तरदायी

बनाना इस मसौदे में टाला गया है। इसके परिणामस्वरूप ऐसा संभव है कि कई जूनियर पुलिस अधिकारियों को हल्की सजा ही हो। राज्य सरकारें जिस तरह काम करती हैं उसे देखते हुए भी ऐसा लगता है कि इस कलम के अधीन पुलिस अधिकारियों को सजा देने की संभावनाएं भी न रहें।

इस अधिनियम में कौमी हिंसा की व्याख्या दी गई है। उसमें भारतीय दंड संहिता-१८६०, शस्त्र अधिनियम १९५९, विस्फोट अधिनियम-१८८४, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि प्रतिरोध अधिनियम-१९८४, पूजा स्थान अधिनियम-१९९१, धार्मिक संस्था दुरुपयोग प्रतिरोध अधिनियम-१९८८ जैसे कानूनों में कौमी हिंसा की जो व्याख्या दी गई है, वही इस अधिनियम में भी स्वीकार की गई है। परंतु इसमें अधिक व्यापक व्याख्या की जरूरत है। उसमें मात्र हिंसा का नहीं वरन् कौमी स्तर पर होने वाले भेदभाव और मानवाधिकारों के भंग का समावेश भी होना चाहिए।

इस अधिनियम में कौमी अपराधों में उकसाने वाले प्रवचन, घृणा फैलाने, समुदायों के बीच अविश्वास प्रसार, कौमवादी साहित्य, और पाठ्य पुस्तकें, कक्षाओं में अध्यापन, अनिवार्य रूप से मिश्रित बस्तियों में से खदेड़ना या निष्कासन, रोजगार या मकान भाड़े में भेदभाव, शैक्षणिक संस्थाओं में कौमी स्तर पर प्रवेश, वकीलों व डॉक्टरों जैसे पेशेवरों द्वारा कौमी स्तरानुसार भेदभाव इत्यादि का समावेश किया गया है। वैसे, वर्तमान कानूनों में भी इनमें से बहुत-सी बातों को कौमी हिंसा माना जाता है, परंतु राज्य उनके सामने कदम उठाये ही, ऐसा उसका कर्तव्य है, यह बात स्वीकार्य नहीं है। राज्य सरकारें ज्यादातर लेखकों और वक्ताओं के विरुद्ध शिकायत करने की इजाजत देती ही नहीं। अतः वाकई ऐसे कौमी अपराध होने से रोकने की सरकार की जिम्मेदारी है, यह महत्वपूर्ण बात है। इस मसौदे में इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं है।

इस अधिनियम में कौमी हिंसा में से बच जाने वालों के बचाव, राहत और पुनर्वास के अधिकारों की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। इसमें समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है। परंतु इन समितियों में मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधिकारियों और उसके द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी लोगों का समावेश होगा। अतः ये समितियां अधिक प्रभावी बनें, ऐसी व्यवस्था की जानी जरूरी है।

राहत शिविर अंतर्राष्ट्रीय स्तरानुसार स्थापित हों, सरकार निर्वाह हेतु सहायता प्रदान करे और पुनर्वास की अधिक उत्तम व्यवस्थाएं उपलब्ध हों, ऐसा दायित्व राज्य पर लादने जैसी व्यवस्थाएं इस अधिनियम में की जानी चाहिए।

सरकारी वकील की नियुक्ति हेतु मात्र एक ही व्यवस्था की गई है और वह है सात वर्ष की सेवा की व्यवस्था। परंतु उसके चयन में निष्पक्षता रहे, इस हेतु कोई व्यवस्थाएं किया जाना जरूरी है। सरकारी वकील यदि पक्षपाती हो तो ऐसी व्यवस्थाएं जरूरी हैं कि पीड़ितों के वकील अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें,

‘अनहद’, ‘ह्यूमन राइट्स लो नेटवर्क’ और ‘जनविकास’

इस दस्तावेज की मुख्य समस्या इसके उद्देश्यों के आधार से संबंधित ही है जिन पर समग्र दस्तावेज का निर्माण हुआ है। दस्तावेज का यह आधार इतना अधिक त्रुटिपूर्ण है कि थोड़े-बहुत परिवर्तन-परिवर्धन से इसके सम्पूर्ण स्थापत्य को सुधारा नहीं जा सकता। इस दस्तावेज के आमुख में ही ऐसा कहा गया है कि ‘राष्ट्र के धर्म निरपेक्ष ताने-बाने, एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के सामने खतरे खड़े करने वाली कौमी हिंसा को काबू में लेने और रोकने हेतु व्यवस्था करने वाले कदम उठाने और ऐसी हिंसा से प्रभावित होने वालों के पुनर्वास हेतु कदम उठाने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सक्षम बनाने हेतु’ यह दस्तावेज तैयार किया गया है। वास्तव में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सक्षम बनाने से क्या होगा?

कौमी हिंसा को रोकने, कौमी हिंसा के अपराधों की जांच करने और खास अदालतें स्थापित करने की व्यवस्थाएं दस्तावेज के प्रकरण नं. २ से ६ में की गई हैं। इस हेतु राज्य सरकार को विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सरकार को ही विज्ञापन प्रकाशित करके इसका क्रियान्वयन करना है। अतः वर्तमान में विपक्षी सरकारें इस दस्तावेज की नितांत उपेक्षा करें, ऐसी पूरी संभावना है। इसके उपरांत, ऐसा भी हो सकता है कि राज्य सरकार विज्ञापन प्रकाशित करे, पर कौमी हिंसा से ग्रसित क्षेत्रों को कौमी दृष्टि से अशांत क्षेत्र घोषित करे ही नहीं तो दस्तावेज का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। इस कानून का अमल तभी हो सकता है कि जब बहुत गंभीर परिस्थितियां खड़ी

हो गई हों और देश की एकता या आंतरिक सुरक्षा के सामने कोई खतरा खड़ा हो गया हो। ऐसे बहुत से अपराध हैं कि जिनसे मौतें नहीं होतीं। जैसे बलात्कार, सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार, भेदभाव, समुदायों को जबरन अलग किया जाना, इत्यादि। आम जान-माल की हानि हो तभी यह कानून अमल में आए, ऐसी व्यवस्था की गई है जो विचित्र है।

अधिनियम में यह लिखा गया है कि राज्य सरकार विज्ञापन प्रकाशित कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विज्ञापन प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है। प्रकरण नं. ३ में कौमी हिंसा को रोकने की व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसमें जिला मजिस्ट्रेट को शांति भंग होने से रोकने हेतु सत्ता दी गई है। यहां पुलिस को और मजिस्ट्रेट को जो सत्ताएं दी गई हैं वे वर्तमान में अनेक कानूनों को अंतर्गत उन्हें हैं ही। यथा कौमी हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु सेना बुलाना, सभा या जुलूस पर अंकुश लगाना, लाउड-स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना, शस्त्र जब्त करना, बम-गोलियां-विस्फोटक पदार्थ जैसी चीजें जब्त करना, छानबीन हाथ में लेना, कौमी भावनाओं को भड़काने वाली सभाओं पर प्रतिबंध लगाना और जो कौमी शांति भंग कर सकें उनको तड़ीपार करना इत्यादि। नए मसौदे में ये अधिकार एक बार फिर से उन्हें दिये गए हैं, इससे कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा। यह तो मात्र सतही मामला मालूम पड़ता है। कौमी हिंसा को रोकने हेतु कोई उन्हें उससे अधिक सत्ताएं नहीं मिल जाती।

इस मसौदे में कलम-१७ (१) में जो सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य निभाने में विफल होंगे उन्हें सजा देने की व्यवस्था की गई है। इसमें एक वर्ष तक की कैद अथवा दंड अथवा दोनों सजाओं की व्यवस्था की गई है। कोई पुलिस अधिकारी इरादतन किसी पीड़ित की रक्षा करने से इन्कार करे तो उसे सजा देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यदि वह कौमी हिंसा सम्बंधी कोई सूचना दर्ज करने से इन्कार करे अथवा उसमें पता लगाने से इन्कार करे अथवा अपराधी की शिकायत से इन्कार करे, तब भी यह सजा हो सकती है। यह एक उल्लेखनीय व्यवस्था है। परंतु राजनीतिक नेताओं को कोई सजा न होगी तो पुलिस अधिकारियों को कम सजा होगी अथवा सजा न भी हो, ऐसी संभावना रहेगी। अधिक खतरनाक बात तो यह है कि सरकार की अग्रिम स्वीकृति लिये

बिना अदालत में इस बारे में शिकायत नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था इस मसौदे में की गई है। वास्तव में, सरकारी नौकरों के विरुद्ध शिकायत करने की मंजूरी देने से राज्य सरकार द्वारा इन्कार होने के कारण देश भर में हजारों केस यों ही पड़े हुए हैं। भारतीय दंड संहिता की कलम २१७ से २२३ के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी अपराधियों को छिपायें, मिथ्या दस्तावेज तैयार करें, अदालत में झूठे विवरण दें, झूठी शिकायतें करें, और अपराधियों को भाग जाने दें तो उनको सजा दी जाए, ऐसी व्यवस्था की जा चुकी है।

कौमी दंगों में पुलिस की भूमिका को ध्यान में लें तो फौजदारी कार्यवाही अधिनियम (सी.आर.पी.सी.) की कलम-१९५, १९६, १९७ के अधीन पुलिस को जो मुक्ति दी गई है वह वापिस ले लेनी चाहिए। ऊपर वाले अधिकारी ने कोई हुक्म दिया था, उसे लेकर कोई अपराध किया हो तो ऐसा बचाव कोई निम्नस्तरीय अधिकारी नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी भांति कोई ऊपर

का अधिकारी ऐसा भी बचाव न कर सके कि जो अपराध किया था उसका उसे पता नहीं था। प्रकरण नं. ८ में पुलिस और सेना को मुक्ति दी गई है, याने यदि वे कोई अपराध करें तो उनको सजा नहीं हो सकती। यह बात वाकई विचित्र है। कौमी दंगों में जांच करने वाले अनेक आयोगों ने अपने प्रतिवेदन में ऐसा व्यक्त किया है कि पुलिस और नागरिक सत्ताधीश कौमी तत्त्वों के साथ मिल जाते हैं अथवा वे उनके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं करते अथवा वे पक्षपाती वृत्ति धारण कर लेते हैं। इन मामलों में यह दस्तावेज कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाता।

राज्य सरकार कौमी हिंसा को रोकने में निष्फल हो तो केंद्र सरकार की सत्ता उस राज्य में खड़ी हो या नहीं, इस बात के विवाद का यह दस्तावेज हल नहीं करता। राज्य सरकारें बहुधा अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों से चूक जाती हैं। ऐसे समय में भूतकाल में कुछ नहीं हो सका तो फिर भविष्य में क्या होगा ?

पृष्ठ 25 का शेष भाग

अंक पाने वाली बालिकाओं का सम्मान किया गया था। उसके अलावा, महिला नागरिक नेताओं का भी सम्मान किया गया था। पटवारी या ग्राम सेवक ने महिला दिवस के महत्त्व के विषय में बात की थी। सभाओं में उपस्थित सभी ने स्त्री-भ्रूण हत्या रोकने तथा महिलाओं के प्रति सम्मान-पूर्ण व्यवहार की शपथ ली थी।

जोधपुर

राजस्थान के जोधपुर में ८ मार्च को प्रातः ११ बजे महिला उत्सव शुरू हुआ था। इस उत्सव में लूणी, बिलाड़ा, बाप, बालेसर, फलौदी और मंडोर तथा अन्य तहसीलों से ५३८ महिलाओं ने भाग लिया था। जोधपुर नगर की मेयर डॉ. ओम कुमारी गहलोत ने महिलाओं को शुभकामना भेजी थी और महिलाओं की दशा सुधारने के लिए आह्वान किया था। इस सम्मेलन में विशेष रूप से महिलाओं की पर्दा प्रथा के विरुद्ध की गई कार्यवाही संबंधी विवरण दिया गया था। इसके अलावा, सामाजिक सुधारों के विषय में हुई कार्यवाही का विवरण दिया गया था। सामाजिक कार्यकर्त्री श्रीमती कमला रंगा ने महिलाओं के संगठन पर तथा पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया था। कई सरपंच बहनों ने भी पंचायतों के विकास हेतु संघर्ष करने की जरूरत पर बल दिया था। बाल-विवाह

को रोकना, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना, लड़के-लड़की के बीच भेदभाव न रखना, सामाजिक कुरीतियां दूर करना, लड़कियों को पढ़ाना आदि विषयों पर आगामी समय में काम करने हेतु आह्वान किया गया था।

‘उन्नति’, दलित अधिकार अभियान और जय भीम शिक्षा संस्थान के संयुक्त उपक्रम से ९ मार्च को शेरगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें लगभग ८५० महिलाएं और लगभग १५० पुरुष उपस्थित थे। पत्रकार, कर्मशील, सरपंच, पंचायत के सदस्य इत्यादि लोग उसमें उपस्थित थे। महिलाओं की विविध समस्याओं के विषय में वक्ताओं ने सम्मेलन में अपने विचार प्रस्तुत किये थे। विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर और एकाकी महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर इस सम्मेलन में बल दिया गया था। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के दोष में से समाज को बाहर लाने हेतु प्रतिज्ञा की गई थी। पंचायतों में महिलाओं के स्थान पर उभी उम्मीदवार खड़े न हों, इस बारे में तथा ग्राम सभा में महिलाएं सक्रिय बनें, उनकी जरूरत के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किये गए। इसके अलावा, दलित महिलाओं की परिस्थिति सुधरे, इसके लिए तथा घरेलू हिंसा की घटनाएं रोकने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

सामाजिक विकास की दृष्टि से केंद्र और गुजरात के आय-व्यय पत्रक (बजट)

प्रति वर्ष फरवरी माह के दौरान बजट प्रस्तुत होते हैं। ये राज्य और देश के विकास की दिशा निश्चित करते हैं क्योंकि इसमें यह तय होता है कि सरकारें किस तरह और कितनी आय प्राप्त करेंगी और किस तरह से कहां व्यय करेंगी। यहां **श्री हेमन्तकुमार शाह** द्वारा गुजरात सरकार व केंद्र सरकार के बजटों में सामाजिक विकास के सम्बंध में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनका विवरण दिया गया है।

गुजरात

गुजरात सरकार का २००६-०७ का बजट रु ३७१०४.११ करोड़ रु. का है। इसमें राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, सार्वजनिक हिसाब और आकस्मिक फंड का समावेश होता है। इस व्यय में से सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और प्रशासनिक सेवाओं के लिए खर्च होता है। सामाजिक विकास के संदर्भ में इस बजट में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनसे सम्बंधित कुछ विवरण निम्नानुसार हैं।

शिक्षा

मुख्य मंत्री ने अपने प्रवचन में बताया है कि २०००-०१ में कक्षा १ से ५ में पाठशाला अधबीच में ही छोड़ जाने वालों की तादाद २०.५ प्र.श. के करीब थी और वह २००५-०६ में घट कर मात्र ५.१३ प्र.श. रह गई है। इसके अलावा, उन्होंने यों कहा है कि कक्षा १ से ७ तक में २०००-०१ में पाठशाला अधबीच में ही छोड़ने वाले बालकों का तादाद ३७.१५ प्र.श. थी, जो २००५-०६ में घट कर ११.८२ प्र. श. रह गई है।

ये दोनों बातें विचित्र मालूम पड़ती हैं और विश्वसनीय आंकड़ों के साथ इन का मेल नहीं बैठता। सबसे पहली बात तो यह है कि मुख्य मंत्री ने वर्ष २००५-०६ के आंकड़े दिये हैं। वास्तव में, यह वर्ष तो अभी चालू है, पूरा नहीं हुआ। तो इसके आंकड़े आर्येंगे ही किस तरह? फिर, भारत सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय 'सेलेक्टड एज्युकेशनल स्टेटिस्टिक्स' प्रकाशित करता है, उसमें जो आंकड़े

दिये जाते हैं वे राज्य सरकार के द्वारा ही उपलब्ध करवाये हुए होते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कक्षा १ से ५ में २००२-०३ में पाठशाला अधबीच में ही छोड़ने वालों की तादाद २४.७७ प्र.श. थी और वह २००३-०४ में बढ़कर २५.०५ प्र.श. हो गई थी। इस तरह, पाठशाला अधबीच में ही छोड़ जाने वाले विद्यार्थियों की तादाद घटी नहीं, वरन बढ़ी है। यही परिस्थिति कक्षा १ से ८ में भी है, जो संख्या ४५.१८ प्र.श. से बढ़कर ५२.५२ प्र.श. हो गई है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास के आंकड़े जरा दूसरे ढंग से भी सही लगते हैं। २००५ के मार्च में ली गई एस.एस.सी. की परीक्षा में गुजरात में लगभग ६.५ लाख विद्यार्थी ही बैठे थे। वे १९९५ में पहली कक्षा में भर्ती हुए होंगे। पर पहली कक्षा में तो १९९५ में लगभग १७ लाख विद्यार्थी भर्ती हुये थे। अतः लगभग ६५ प्र. श. विद्यार्थी कक्षा १० से पहले पाठशाला छोड़ देते हैं। अतः मुख्यमंत्री अपने बजट प्रवचन में प्रदत्त आंकड़े किस तरह लाये, यह समझ में नहीं आता।

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में मध्याह्न भोजन योजना का लाभ और ८०० पाठशालाओं को मिले, ऐसी व्यवस्था करने की घोषणा की है। यह एक वाकई स्वागत योग्य घोषणा है। वैसे मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन २००४-०५ में ३०,०४८ पाठशालाओं में हुआ था। इनमें ८०० पाठशालाएं और जुड़ेगी, पर अब भी दूसरी लगभग ७००० पाठशालाएं बाकी रह जाती हैं। वास्तव में तो तमाम पाठशालाओं में उसके क्रियान्वयन की घोषणा मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी।

इस योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इसके लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ती है। जैसे कि २००२-०३ में पाठशालाओं की संख्या ३२-५९ लाख थी, परंतु २००४-०५ में पाठशालाएं ३०,०४८ हो गई, पर विद्यार्थियों की संख्या ३०.११ लाख हुई। ऐसा कैसे हुआ? इसका कारण यह है

कि सरकार अब अपने अनुदान से चलने वाली पाठशालाओं की संख्या बढ़े, इसके बजाय स्वनिर्भर पाठशालाओं की संख्या बढ़े, इसके लिए ही प्रयत्नशील रहती हैं। यद्यपि मुख्यमंत्री ने एक अच्छा अनुरोध किया है, और वह है तीसरे पक्ष के द्वारा पाठशालाओं का निरीक्षण। इस सुझाव का क्रियान्वयन होगा तो इससे पाठशालाओं को प्रोत्साहन मिलेगा परंतु सरकार जिन पाठशालाओं को ग्रांट देती है उनके लिए ही यह प्रथा शुरू नहीं करनी चाहिए वरन् उसकी अपनी पाठशालाओं के लिए भी यह प्रथा शुरू करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भी चाहती है कि शिक्षक शिक्षा जगत के अग्रणियों की कसौटी पर कसे जाएं। परंतु विद्या-सहायक प्रथा लागू करके शिक्षक का भयानक अपमान किया गया है, उसका क्या होगा? मासिक २५०० रु. में प्राथमिक शिक्षक और मासिक ५००० रु. में माध्यमिक शिक्षक काम करें ऐसी अपेक्षा सरकार रखती है, साथ में ये शिक्षक गुणात्मक शिक्षण प्रदान करें ऐसी अपेक्षा भी रखती है। ये दोनों अपेक्षाएं एक साथ कैसे फलीभूत हों? सरकार को विद्या सहायक योजना बंद करके नियमित वेतन पर शिक्षकों की भर्ती की योजना घोषित करनी चाहिए थी। सरकार १०.००० रु. में आइ.एस. सहायक कैसे नियुक्त नहीं करती?

स्वास्थ्य

२००६-०७ के बजट में सरकार ने मातृ वंदना योजना हेतु १० करोड़ रु. और चिरंजीवी योजना के लिए ३३ करोड़ रु. की व्यवस्था की है। ये दोनों योजनाएं प्रसूता स्त्रियों और नवजात शिशुओं की देखभाल और सार-संभाल के लिए हैं। इन दोनों योजनाओं के लिए की गई व्यवस्थाएं स्वागत योग्य हैं, पर अधिक खर्च की व्यवस्था जरूरी प्रतीत होती है। उसका कारण यह है कि पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में मुहैया नहीं हुई हैं।

गुजरात में १११ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) हैं, उनमें से लगभग २५ प्र.श. में तो पानी की सुविधा ही नहीं है। राज्य में २००३-०४ में मात्र ४.८ प्र.श. केंद्रों में ही प्रसूति हेतु अलग कक्ष हैं। यदि तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध

करानी हों, तो बहुत अधिक निवेश की जरूरत है। इसे देखते २००६-०७ के बजट में की गई व्यवस्थाएं बहुत कम मालूम पड़ती हैं। उसके उपरांत, गायनेक केसों हेतु इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओ.पी.डी. सुविधाएं मात्र १६.२ प्र.श. में ही हैं। ऐसी दशा में मातृत्व मृत्यु दर किस तरह नीचे आ सकता है? वैसे राज्य में मरीजों को सुदृढ़ चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्तमान वाडों पर नवीनीकरण हेतु १५ करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। यह एक वाकई स्वागत योग्य बात है। इस खर्च से सरकारी अस्पतालों की हालत कुछ हद तक सुधरेगी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु २४० रु. करोड़ और मेडिकल कॉलेजों के साथ संलग्न अस्पतालों की सुविधाओं हेतु १३७ रु. करोड़ की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्थाएं वर्ष २००५-०६ की व्यवस्थाओं की तुलना में कोई खास वृद्धि नहीं दर्शाती। अतः सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं तत्काल सुधर जाएंगी ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती।

सामाजिक विकास

निराधार विधवा महिला पेंशन योजना के लिए आगामी वर्ष हेतु ५९.४७ करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्हें ३००० रु. की राशि देकर स्वनिर्भर बनने हेतु ७.२० करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। २००५-०६ में इस योजना के अधीन व्यवस्था में कमी की गई थी। तब स्वैच्छिक संगठनों के नेतृत्व में विधवाओं ने भारी विरोध किया था। इस विरोध की दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना के अधीन खर्च में वृद्धि करने का निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य है।

इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में भवनों हेतु ५ करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। यदि इस योजना के अधीन भवन निर्मित होंगे तो पूर्व प्राथमिक शिक्षण और साथ ही साथ पोषण कार्यक्रम को बहुत गति मिलेगी। वैसे, आंगनबाड़ी शिक्षकों की स्थिति को सुधारने हेतु अधिक कदम उठाने की और खर्च की व्यवस्था करने की जरूरत थी।

उल्लेखनीय बात यह है कि इस बजट में रोजगार सृजन हेतु कोई भी उल्लेखनीय कदम नहीं दिखाई देते। १९१ करोड़ मानव दिन

रोजगार खड़े करने का उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपने प्रवचन में किया है। गुजरात में लगभग ३० लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, उनमें से प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाए तब भी इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, यह समझ में नहीं आता।

सामाजिक विकास के क्षेत्रों पीछे गुजरात सरकार जो खर्च करती है उसे सामाजिक सेवाओं पीछे के खर्च के रूप में पहचाना जाता है। यह खर्च पूंजी खर्च और राजस्व खर्च दोनों में विपरीत होता है। इस खर्च को यदि उस वर्ष के राज्य सरकार के कुल खर्च के साथ जांचें तो निम्न चित्र प्रस्तुत होता है :

१. सामाजिक सेवाओं के पीछे २००५-०६ कुल खर्च में संशोधित अनुमान के अनुसार ८३१८ करोड़ रुपये हैं, जो नए वर्ष के लिए ८२५५ करोड़ रु. का अनुमान किया गया है। इस तरह उसमें ०.७० प्र.श. कमी मालूम पड़ती है।
२. २००२-०३ में सामाजिक सेवाओं के पीछे का खर्च ७५५८ करोड़ रु. था और वह कुल खर्च ४२१९३ करोड़ रु. के लगभग १७.९१ प्र. श. था। पर २००६-०७ हेतु जो कुल खर्च ३६७५४ करोड़ रु. अनुमानित है, उसमें सामाजिक सेवाओं हेतु १०, १४५ करोड़ रु. अनुमानित है। इस प्रकार, वह कुल खर्च का लगभग २७.६० प्र. श. होता है। इस तरह सामाजिक सेवाओं के खर्च में वृद्धि हुई है।
३. २००२-०३ की तुलना में देखें तो २००६-०७ हेतु सामाजिक सेवाओं के खर्च में ३४.२३ प्र.श. वृद्धि हुई है।

सामाजिक सेवा के पीछे जो खर्च होता है उसमें निम्न बातों का समावेश होता है :

१. शिक्षा, मनोरंजन, कला और संस्कृति
२. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण।
३. जल अवाप्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास।
४. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण।
५. सूचना व प्रसारण।
६. श्रम और मजदूर कल्याण।
७. समाज कल्याण व पोषण।
८. अन्य।

इन में से कई क्षेत्रों हेतु जो खर्च हुआ है और २००६-०७ में होना है उसका विवरण साथ वाली तालिका में दिया गया है। इन विवरणों से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

१. २००३-०४ की तुलना में २००६-०७ में शिक्षा, मनोरंजन, कला और संस्कृति हेतु जो खर्च अनुमानित है वह २३-५० प्र.श. वृद्धि दर्शाता है। सरकार के कुल खर्च का योगदान भी बराबर बढ़ता जाता है।
२. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में भी कुल खर्च में से अधिक प्र.श. खर्च हो रहा है और विगत चार वर्ष में उसमें ३०.५५ प्र.श. वृद्धि हुई है।
३. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात में भी धीमी वृद्धि देखने में आती है। वैसे खर्च में ३७.५ प्र.श. के करीब वृद्धि विगत ५ वर्ष में हुई है।
४. समाज कल्याण व पोषण में अधिक कमी दर्ज हुई है। २००३-०४ में कुल खर्च की तादाद २.१५ प्र.श. थी और वह २००६-०७ में लगभग २.०७ प्र.श. अनुमानित थी। वैसे २००५-०६ की तुलना में खर्च में लगभग ५७४ करोड़ की भारी कमी का अनुमान लगाया गया है।

केंद्र

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम् ने २००६-०७ के अपने बजट में खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। यह सरकार जब बनी थी, तब बनाए गये 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' में व्यक्त सामाजिक विकास हेतु जो प्रतिबद्धता बजट में परिलक्षित होने लगी है ऐसा प्रतीत होता है। यहां तीन क्षेत्रों हेतु बजट में की गई व्यवस्थाओं को लेकर हम चर्चा करेंगे।

खेती

खेती और इसके साथ सम्बद्ध प्रवृत्तियों हेतु ५९०७ करोड़ रु. की व्यवस्था २००५-०६ के वर्ष में की गई है। यह राशि अब २००६-०७ वर्ष के केंद्रीय योजना हेतु बढ़ाई गई है, जो ७३८५ करोड़ रु. की गई है। इस प्रकार इसमें २५.०२ प्र. श. वृद्धि की गई है।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जिन किसानों ने ३ लाख रु. तक का लोन लिया है उनको २००६-०७ की खरीफ व रबी की फसल हेतु ७ प्र.श. दर से लोन मिलेगा। वर्तमान में ब्याज की दर ९ से ९.५ प्र.श. है। इस प्रकार किसान को बड़ी राहत प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, वरन् ब्याज की जिम्मेदारी की दो प्र.श. राशि ३१ मार्च २००६ तक किसानों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी। इसमें १७०० करोड़ रु. खर्च होंगे। किसानों को दी गई इस बड़ी रकम की सब्सिडी से वास्तव में राहत मिलेगी। फसल पर लिये जाने वाले लोन पर की ब्याज दर घटाने हेतु प्रारंभ में सरकार सहमत नहीं थी। इसके बावजूद यह निर्णय लिया गया है जो एक आनंददायी बात है। २००५-०६ में कृषि ऋण की राशि १,४१,५०० करोड़ रु. होने की धारणा है और २००६-०७ में यह राशि १.७५ लाख करोड़ करने का अनुमान रखा गया है। २००४ में ऐसा लक्ष्य तय किया गया था। प्रति वर्ष कृषि ऋण १.१७ लाख करोड़ रुपये हुआ है। अतः इस वर्ष १.७५ लाख करोड़ रु. का लक्ष्य तय किया गया है, जो उचित

ही है और वांछनीय भी। वास्तव में, इतनी वृद्धि पहले नहीं हुई थी जो एक उल्लेखनीय बात है। ऊंचा लक्ष्य रखा गया है अतः २००५.०६ में इतना कृषि ऋण होगा, इसके बजाय २००६-०७ में यह बढ़ेगा ही इसमें कोई संदेह नहीं है।

शिक्षा

शिक्षा हेतु आवंटन लगभग ३७ प्र.श. बढ़ाया गया है और यह १९,८१६ करोड़ रुपये किया गया है। केंद्रीय योजना में की गई यह वृद्धि स्वागत योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। 'सर्व शिक्षा अभियान' हेतु ७,८०० करोड़ रु. का आवंटन २००५-०६ में किया गया है। इसके बजाय २००६-०७ हेतु यह आवंटन ११,००० करोड़ रु. किया गया है। इस प्रकार, इसमें लगभग ४१ प्र.श. की वृद्धि हुई है। मध्याह्न भोजन हेतु व्यय ३,३४५ करोड़ रु. से बढ़ाकर ५,३४८ करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार, इसमें ६३ प्र.श. की विशाल बढ़ोतरी की गई है।

सामाजिक विकास के क्षेत्र में गुजरात सरकार का खर्च

(रु. करोड़ों में)

	२००३-०४	२००४-०५	२००५-०६ (सु.अ.)	२००६-०७ (सु. अ.)
(१) शिक्षा				
(अ) खर्च	३६९३	४००२	४३०६	४५६१
(आ) कुल खर्च का प्र.श.	९.२०	१०.५२	१२.२२	१२.४०
(२) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण				
(अ) खर्च	८८७	९७१	१०७०	११५८
(आ) कुल खर्च का प्र.श.	२.२१	२.५५	३.०४	३.१५
(३) अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण				
(अ) खर्च	५१२	६४३	६७३	७०४
(आ) कुल खर्च का प्र.श.	१.२८	१.६९	१.९१	१.९२
(४) श्रम एवं मजदूर कल्याण				
(अ) खर्च	१२१	१२०	१३३	१५३
(आ) कुल खर्च का प्र.श.	०.३०	०.३२	०.३०	०.४२
(५) समाज सेवा और पोषण				
(अ) खर्च	८६२	९००	१३३६	७६२
(आ) कुल खर्च का प्र.श.	२.१५	२.३०	३.७९	२.०७

समग्र रूप से प्राथमिक शिक्षा का व्यय २००५-०६ के संशोधित रूप में १२.२४१ करोड़ रु. है और आगामी वर्ष के लिए १६,८९३ करोड़ रु. का अनुमान है। वास्तव में यह एक बहुत अच्छी बात है। यह लगभग ३८ प्र.श. की वृद्धि दर्शाता है। वैसे उल्लेखनीय बात यह है कि प्रौढ़ शिक्षा संबंधी व्यय में कमी की गई है। २००५-०६ हेतु २९० करोड़ के व्यय का अनुमान था और अब २००६-०७ के लिए २३६ करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया है। उच्च शिक्षा हेतु आवंटन भी बढ़ाया गया है। युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लिए ७१० करोड़ रु. का खर्च चालू वर्ष में अनुमानित है। इसके बदले २००६-०७ में यह १,१३९ करोड़ रु. अनुमानित है। यों इसमें लगभग ६० प्र.श. की बढ़ोतरी प्रतीत होती है। उच्च शिक्षा हेतु कुल व्यय ८७५ करोड़ रु. से बढ़ाकर १४०३ करोड़ रु. का अनुमान किया गया है और उसमें भी लगभग ६० प्र.श. वृद्धि प्रतीत होती है।

तकनीकी शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने विशेष चिंता दर्शाई है। विशेष रूप से आइ.आइ.टी. हेतु २००५-०६ के खर्च का बजट अनुमानतः १९८ करोड़ रु. था, इसको संशोधित अनुमान २३६ करोड़ रु. है इसका अब ३०० करोड़ रु. का अनुमान है। विगत

बजट अनुमान के बजाय यह बजट लगभग ५० प्र.श. वृद्धि दर्शाता है। उच्च शिक्षा के पीछे का खर्च निरंतर घटता था। २००२-०३ की तुलना में २००३-०४ में यह ०.३९ प्र.श. घटा था, और २००३-०४ की तुलना में २००४-०५ में यह ०.३३ प्र.श. घटा था। अब ६० प्र.श. के करीब इस क्षेत्र में भी वृद्धि की गई है जो वास्तव में स्वागत योग्य है।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु केंद्रीय योजना में ३३ प्र.श. वृद्धि की गई है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु ६,७३१ करोड़ रु. आवंटित थे और २००५-०६ हेतु इस राशि को बढ़ाकर ९,०६५ करोड़ रु. कर दिया गया है। यह ३४.६८ प्र.श. की बड़ी वृद्धि दर्शाता है। यह मिशन झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा और राजस्थान पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें २.५ लाख के करीब कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी और वे स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाएंगे। यह एक उत्तम और स्वागत योग्य विषय है। स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय में २२ प्र.श. की वृद्धि सूचित की गई है और २००६-०७ में रु. १२,५४६ करोड़ हो, ऐसा अंदाजा रखा गया है।

पृष्ठ 36 का शेष भाग

एकत्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। साणंद और धोलका नगरों में पेयजल और सफाई जैसी बुनियादी सेवाओं पर देखरेख रखने की प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। धोलका में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से प्रभावित होने वाले नए निःसहाय परिवारों को आवास सुविधा प्रदान की गई थी। भचाऊ नगर में ३०० परिवारों के लिए जमीन को नियमित और विधि-सम्मत करने की प्रक्रिया हाथ में ली गई थी। 'भचाऊ विस्तार विकास सत्तामंडल' (भाडा) के सहयोग से १५० घरों के लिए स्थान की जांच-पड़ताल हाथ में ली गई। 'हुनर शाला' के सहयोग से १०० असहाय परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। भचाऊ नगर के वार्ड नं. ७ हेतु एक लघु स्तरीय योजना तैयार की गई थी और उसके क्रियान्वयन हेतु 'भाडा' को भेजी गई थी।

राजस्थान में जोधपुर जिले के बिलाड़ा और पीपाड़ नगरों के २२ नगर सेवकों हेतु एक दिन की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसमें उनकी समस्याओं पर और उनकी क्षमता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वाल्मीकि समाज के साथ उनकी समस्याओं हेतु हिमायत करने के लिए नियमित रूप से समूह बैठकें आयोजित की जाती हैं।

राजस्थान और गुजरात में अनेक स्थानों पर हमारी शासन क्षेत्र में काम करने वाली टुकड़ी ने महिला दिवस आयोजित किया था। उसका विवरण अलग रूप से 'साम्प्रत प्रवाह' (गतिविधियां) में दिया गया है। हमने गुजरात सामाजिक मंच में शासन, विपत्ति का सामना और विकलांगता के प्रश्नों पर सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसका विस्तृत विवरण इसी अंक में दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

आठ मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पिछले कई वर्षों से भारत में इस दिन का आयोजन महिलाओं की आवाज बुलंद करने और विविध समस्याओं के विषय में महिलाओं की भूमिका सुदृढ़ करने के संदर्भ में होता रहा है। गुजरात व राजस्थान में 'उन्नति' द्वारा सम्पन्न ऐसे कुछ आयोजनों का प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत किया गया है।

नवागाम, कच्छ

२० मार्च २००६, सोमवार को कच्छ के नवागाम में प्रातः १०-३० से दोपहर १ बजे के मध्य प्राकृतिक आपदाओं में महिलाओं की स्थिति विषयक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसका मुख्य प्रयोजन आपदा के समय महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों के मुद्दों को अनुभवों द्वारा चर्चा/ संवाद करके प्रकाश में लाकर विकास की दिशा में नये कदम उठाकर ठोस योजना बना सकें और समुदाय आधारित आपदा-व्यवस्थापन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। कार्यक्रम में महिला दिवस के महत्त्व और इतिहास की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के उद्देश्य के संबंध में 'उन्नति' के कार्यकर्ता श्री शैलेश भाई ने बताया कि महिला और पुरुष के बीच भेदभाव तथा समानता को हमें समझना जरूरी है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दो जाति-रूप बनाये हैं। उनमें कुछ प्राकृतिक शारीरिक बदलाव हैं। परंतु समाज में इनका इस तरह निर्माण होता है कि दोनों के बीच असमानता उत्पन्न हो जाती है। यह असमानता इन दोनों की भूमिका में, वाणी-व्यवहार, मान्यताओं व मूल्यों में देखने को मिलती है। इस सामाजिक असमानता को हम पहचानें और समत्व दृष्टि विकसित करें, यही हमारे समाज के लिए हितकर है।

सुश्री पुष्पाबहन ने प्राकृतिक आपदा की समझ विकसित करते हुए बताया कि गांव में या घर में कोई भी दुर्घटना घटती है तो अधिकांशतया महिलाओं को बहुत-सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आज विपत्ति के समय महिलाओं को क्या क्या कठिनाइयां पेश आती हैं, उन्हें अनुभव के द्वारा सामने लाकर चर्चा करेंगे और मिलजुल कर उनसे संबंधित योजना बनाकर

भावी दशा में एक कदम आगे बढ़ेंगे। इस चर्चा में महिलाओं से पूछा गया कि विपत्ति याने क्या? और कच्छ में किस तरह की विपत्ति बार-बार आया करती है। प्रत्युत्तर में महिलाओं ने निम्न प्रकार से विपत्ति की जानकारी दी: (१) प्राकृतिक विपत्ति : भूकम्प, तूफान, अकाल, बाढ़, महामारी, अतिवृष्टि, बिजली-गिरना, आग, विषैले जीव द्वारा काटा जाना। (२) मानव सर्जित विपत्ति : साम्प्रदायिक दंगे, सामाजिक शोषण, आग।

यह समझ विकसित करने के पश्चात महिलाओं को आपदा के समय पेश आने वाली कठिनाइयों को लेकर चार दलों में विभक्त किया गया और उन्हें समझाया गया कि विपत्ति के समय महिलाओं को क्या-क्या कठिनाइयां विशेष रूप से पेश आती हैं, और उनके हल के लिए उन्हें क्या-क्या आयोजन करने चाहिए। ये दो प्रश्न देकर महिलाओं के अनुभव जाने गए। तदुपरांत चर्चा करके चार्ट पेपर पर लिख कर प्रत्येक दल की महिलाओं ने अपने विचार प्रस्तुत किये। प्रस्तुतीकरण का विवरण निम्नानुसार है :

अकाल में पेश आने वाली कठिनाइयां :

रोजगार का अभाव, लोगों का स्थलांतरण, पेयजल की कमी, वस्तुओं की कमी, पशुओं हेतु चारे की तकलीफ, पर्याप्त आहार न मिलना, बीमारियां बढ़ना।

समाधान :

तालाबों व खेतों की मेड़बंदी करवाई जानी चाहिए, कुएं तालाब गहरे करवाये जाने चाहिए, पानी का संग्रह करने की गतिविधियां हाथ में ली जानी चाहिए, अनाज का सुरक्षित भंडारण किया जाना चाहिए, पंचायत की तरफ से राहत कार्य शुरू कराने चाहिए, पंचायत द्वारा वृक्षारोपण कराना चाहिए।

भूकम्प के दौरान उत्पन्न कठिनाइयां :

- मकान ध्वस्त हो जाने से सामाजिक सुरक्षा की कठिनाई।
- खाने-पीने की कठिनाई।

- एकाकी महिलाओं की सुरक्षा की समस्या।
- अफवाहों से भयप्रद वातावरण रहना।
- सगर्भा/ प्रसूति वाली महिलाओं हेतु सफाई की कठिनाइयां।
- पेयजल की कमी होना।
- अनाज राशन का खराब होना।
- जीवनोपयोगी चीज-वस्तुओं की कमी होना।
- मानसिक तनाव/ चिंता बराबर बनी रहना।
- घायल लोगों हेतु सुरक्षित स्थान का अभाव।

समाधान :

- एक-दूसरे के लिए सहयोग व आत्मीय भाव रखना।
- समूह में भोजन व्यवस्था का आयोजन करना।
- सगर्भा तथा प्रसूता महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- जलवायु विभाग के सम्पर्क में रहना।
- जीवनोपयोगी वस्तुओं से महिलाओं की मदद करना।
- मकानों का भूकम्परोधी निर्माण करना।
- बालकों के लिए मनोरंजक वातावरण निर्मित करना ताकि भय का भाव दूर हो।

तूफान के दौरान होने वाली कठिनाइयां :

- झोंपड़े गिर जाना।
- पेयजल का अशुद्ध होना।
- वाहन-व्यवहार समाप्त हो जाना।
- रोजगार की समस्या।
- जीवनोपयोगी जरूरी वस्तुएं खराब हो जाना।
- बिजली संकट हो जाने से अनाज पिसवाने की समस्या। सगर्भा महिलाओं हेतु सुरक्षित स्थान तलाशना।
- सगर्भा महिलाओं हेतु सुरक्षित स्थानों की कठिनाई।
- नहाने-धोने की कठिनाई।
- गाँव में पानी से गंदगी होने के कारण स्वास्थ्य की परेशानी।
- अफवाहें फैलने से वातावरण भयप्रद होना।
- असुरक्षा की चिंता।
- भागम-भाग के कारण बचाव-सुरक्षा की समस्या।
- ईंधन न मिलने से खाने की समस्या।

समाधान :

- दाइयों को पहले से ही दवाओं के किट प्रदान करना।
- गंदगी फैलने के कारण दवा का छिड़काव कराना।
- एम्बुलेंस और सरकारी वाहनों की व्यवस्था करके रखना।

- अनाज की आवश्यक सामग्री सुरक्षित जगह पर संग्रह करना।
- पंचायत द्वारा महिलाओं के नहाने-धोने की अलग व्यवस्था करना।
- रसोई हेतु अलग से ईंधन व्यवस्था करना।
- घर में तंबू या सरकियों जैसे आच्छादन रखना।
- पेयजल शुद्ध रखने लिए जरूरी उपाय करना।

मानव-सर्जित विपत्ति :

साम्प्रदायिक दंगों द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयां

- कर्पयू लगाया जाना।
- जाति भेद-कौमवाद उत्पन्न होना।
- महिलाओं के साथ सामाजिक शोषण होना।
- महिलाओं को मानसिक त्रास होना।
- असुरक्षा की समस्या उत्पन्न होना।
- दुर्घटना होना।
- रोगों का प्रसार होना।
- आपसी विद्वेष के कारण भयप्रद वातावरण रहना।

समाधान :

- भाईचारे की भावना उत्पन्न करना।
- शराब पर प्रतिबंध लगाना।
- सहकार की भावना विकसित करना।
- सरकारी समन्वय द्वारा लोगों को राहत देना।
- अनाज, ईंधन आदि पहले से घर में रखे रखना।

भविष्य की आसन्न विपत्तियों से बचने हेतु बहनों के विचार इस प्रकार थे:

- महिला मंडलों को गाँव का नक्शा बनाकर परिवारों की सूची तैयार रखना।
- विधवाओं, वृद्धों, अपंग, असहाय और बी.पी.एल. परिवार की सूची रखना, ताकि विपत्ति के समय उन्हें सुरक्षित जगह रखा जा सके।
- सरकारी अधिकारियों के फोन नंबर लिखे रखना, यथा-डॉक्टर, नर्स, जी.ई.बी., तहसील पंचायत आदि।
- दाइयों की सूची बनाना ताकि विपत्ति के समय काम आए।
- विपत्ति के समय बचाव-सुरक्षा हेतु संसाधन तैयार रखना, (गैंती, फावड़े आदि)
- अनाज की सामग्री संग्रह करके रखना।
- ईंधन की पहले से व्यवस्था करके रखना।



भचाऊ, कच्छ

१८ मार्च २००६ को भचाऊ के टाउन हाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के निमित्त से एक महिला जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें लगभग १५० नागरिक उपस्थित थे। यह कार्यक्रम 'उन्नति', भचाऊ नगरपालिका और रोटरी क्लब के सहयोग से आयोजित हुआ था। इस अवसर पर कच्छ महिला विकास संगठन की श्री लताबेन सचदे, जयश्रीबेन, एडवोकेट श्री अंजारिया, सहयोग होस्पिटल के मेडिकल अधिकारी डॉ. कुमार, वागड़ वेलफेयर होस्पिटल के श्री इश्वरभाई ओझा, नगरपालिका के श्री वीरेन्द्र सिंह जाड़ेजा, मधीबेन परमार, राजेन्द्रभाई ठक्कर, रोटरी क्लब की प्रमुख सुश्री चंद्रिकाबहेन, एच. डी. कन्या विद्यालय की मणिबेन, महिला कॉलेज प्रतिनिधि तथा गांव के महिला बचत संगठन के अग्रणी कार्यक्रम में सहभागी रहे थे। इस इवसर पर 'उन्नति' के कार्यकर्ता द्वारा कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट किय गया था। उन्होंने कहा कि हम स्त्री-पुरुष सामाजिक भेदभाव को समझें, स्त्री-पुरुष समभाव के दृष्टिकोण को विकसित करें तथा संवेदनशील बनें।

इस अवसर पर कच्छ महिला विकास संगठन की श्री लताबेन द्वारा सामाजिक भेदभाव को सरलता से समझा जा सके, ऐसा एक गीत सहभागियों के साथ रहते हुए गाया। इस गीत में यह भाव निहित है कि परिवार और समाज द्वारा किस तरह स्त्री-पुरुष के लालन-पालन और विकास में कैसी असमानता रखी जाती है। उन्होंने आगे बताया कि समाज में जो लिंग भेद की असमानता है उसमें समानता लाना आवश्यक है। समाज द्वारा निर्मित स्त्री-पुरुष की भूमिका में ही असमानता देखने में आती है। स्त्रियां जो काम करती हैं उसका कोई मूल्य नहीं होता, साथ ही वे जो काम करती हैं उसे

अनुत्पादक और निम्न स्तर का माना जाता है। उन्होंने रापड़ तहसील के गांव ब्रजवाणी गांव की ढोली और महिला के रास करने की बात का उल्लेख किया तथा उसमें रास करती महिलाएं सामूहिक सती हुई, ऐसी नारी की शक्ति व समर्पण भावना की बात की। उन्होंने महिलाओं से सामूहिक अपील की कि महिलाओं को संगठित होकर अपने पर होने वाले अन्याय, अपने आत्मगौरव और सम्मान हेतु आगे आना पड़ेगा। उन्होंने कच्छ में रहने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु होने वाले कार्यों के बारे में बताया था। सामाजिक-आर्थिक विकास में, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी है, परंतु उसे प्रभावी बनाना भी जरूरी है। इसके लिए सरकार और संस्थाओं द्वारा विविध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। आज के दिन की महिला अधिकार व समानता हेतु संकल्प के साथ हम शुरूआत कर रहे हैं, यह हमारे समाज के लिए अच्छी बात है।

भचाऊ सरकारी अस्पताल के डॉ. कुमार ने विशेष रूप से महिलाओं को दी जाने वाली मेडिकल सेवाओं की जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात में अभी कुल प्रजनन की तुलना में प्रतिवर्ष होने वाले प्रजनन के दौरान ५,००० माताओं की मृत्यु होती है। साथ ही ० से १ वर्ष तक के ७२,००० बालकों की मृत्यु होती है। उनमें से अधिकांश मौतें प्रजनन की तिथि के पास की तिथियों में होती है। गुजरात दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत आगे है, परंतु उपर्युक्त आंकड़ों को देखते हुए यह बात अत्यंत चिंता जनक प्रतीत होती है। सरकार द्वारा उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में सिर्फ प्रजनन की व्यवस्था की गई है। परंतु कच्छ जैसे दुर्गम क्षेत्र में उप केंद्रों में बहुत पद रिक्त हैं। वर्षों से घर में प्रजनन कराने की प्रथा और अब भी घर में उपलब्ध सेवाओं की लोगों को जानकारी नहीं है। इस परिस्थिति में सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना शुरू की गई है। इसमें कच्छ जिले के किसी भी गांव के बी.पी.एल परिवार की सगर्भा महिला का प्रजनन मान्यता प्राप्त स्त्री-रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा दवाखानों में निःशुल्क किया जाएगा। वाहन किराया २०० रु. और साथ आने वाले को ५० रु. दिये जाएंगे। इस योजना को सफल बनाने के लिए इसका प्रचार-प्रसार प्रत्येक गांव के पी.पी.एल परिवार में किया जाना जरूरी है। एडवोकेट श्री डी.एम.अंजारिया ने महिला और कानून विषय के बारे में बताते हुए कहा कि पुरुष प्रधान समाज में

महिलाओं का शोषण होता है, इसे समझने की जरूरत है। महिला संरक्षण कानून की जरूरत क्यों हुई, इसका इतिहास है।

हमारे शास्त्रों में भी अनेक प्रसंगों में स्त्रियों पर अन्याय हुआ है। आज के समय में भी महिला पुलिस स्टेशन पर शिकायत करने जाते हुए संकोच करती है। स्त्रियों के विरुद्ध भी विरोध होता है। ससुराल में दहेज के लिए स्त्री को हैरान किया जाता है। अपहरण होता है। स्त्रियां पुनर्विवाह नहीं कर सकतीं, जबकि पति चाहे जितने विवाह कर सकता है। ये बातें चिंताजनक हैं। दहेज के कारण लाखों महिलाओं ने आत्महत्या की है। १९५६ में पहली बार महिलाओं के उद्धार के लिए कानून बनाया गया। दहेज के कारण जिस महिला पर जुल्म ढाया जाता है, वह पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करा सकती है। गरीब महिला को मुफ्त सहायता मिलती है जिसका लाभ लेना चाहिए। महिलाओं के लिए लगभग २७ कानून हैं।

भचाऊ के वागड़ वेलफेयर होस्पिटल के श्री ईश्वरभाई ने बताया कि विशेष रूप से सगर्भा स्त्री व बालक के स्वास्थ्य हेतु जरूरी जांच होती है। साथ ही उसे कई लोहतत्त्व वाली दवाएं दी जाती हैं। सरकार की चिरंजीवी योजना का भी लाभ दिया जाता है। अस्पताल में स्त्री-रोग विशेषज्ञ भी सेवा देता है। बाहर से खास रोग के विशेषज्ञों को बुलवाया जाता है। वर्ष के दौरान विविध रोगों संबंधी मेडिकल कैम्प का आयोजन किया जाता है। विविध क्षेत्रों में विशेष रूप से सेवाएं देने वाली तथा विशेष जानकारी वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। उनमें भचाऊ में शिक्षा क्षेत्र में विशेष काम



करने वाली कु. चंद्रिकाबा जाडेजा, नगरपालिका प्रमुख मोघीबेन तथा पानी विषय पर निबंध लिख कर अंतर-राज्य स्तर पर प्रथम आने वाली कु. हेतल बेन नारण भाई राजदे का मेहमानों द्वारा सम्मान किया गया।

पंचायत क्षेत्र में जागृति

विगत दो वर्षों से विशेष रूप से 'उन्नति' नागरिक नेताओं को मजबूत बनाने पर तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों का नेटवर्क तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, कि जिससे स्थानीय शासन-व्यवस्था अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बने। महिला दिवस मनाने हेतु इन नागरिक नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेटवर्क ने सक्रिय भाग लिया। साबरकांठा जिले की खेडब्रह्मा तहसील में 'महिला विकास समिति' एक तहसील स्तरीय संगठन बनाया गया है। उसकी कार्यकारी समिति का प्रत्येक सदस्य तीन गांवों की जिम्मेदारी लेता है। इस प्रकार, तहसील में ऐसे ७ दल तीन-तीन गांवों के बने हैं। इस 'महिला विकास समिति' के तत्वावधान में आयोजित महिला दिवस समारोह में २११ महिलाओं और २९ पुरुषों ने भाग लिया था। अहमदाबाद जिले की दस्क्रोई तहसील में नागरिक नेताओं ने इस दिन को मनाने का कार्यक्रम बनाया था। अहमदाबाद जिले की विरमगाम तहसील में और जामनगर जिले की ओरग मंडल तहसील में महिला दिवस मनाने हेतु तहसील के प्रशासन तंत्र ने भी आयोजन हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान किया था। इस प्रसंग में लगभग ७०० महिलाएं उपस्थित थीं। इन समस्त कार्यक्रमों में खेलों द्वारा शासन में नागरिकों की भूमिका संबंधी जानकारी प्रदान की गई थी। स्त्री-भ्रूण हत्या पर भी उसमें चर्चा हुई थी और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता रखने पर भी सर्वसम्मति बनी थी।

अहमदाबाद जिले की धोलका तहसील के सभी ग्राम पंचायतों में ८ मार्च को ही एक साथ महिला दिवस मनाया गया था। धोलका में सरपंच, महिला पंचायत सदस्यों और सामाजिक न्याय समिति के नेटवर्क द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने जनवरी माह से ही महिला दिवस मनाने की तैयारी की थी। तहसील की तमाम ६६ ग्राम पंचायतों में उससे आयोजन करना संभव हो सका था। प्रत्येक स्थान पर सातवीं और दसवीं कक्षा में सबसे अधिक

शेष पृष्ठ 16 पर

गुजरात सामाजिक मंच

‘विश्व सामाजिक मंच’ की प्रादेशिक प्रक्रिया के भाग स्वरूप दिनांक १० से १२ मार्च, २००६ के मध्य अहमदाबाद में पहली बार गुजरात सामाजिक मंच का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना तथा सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के बीच भाईचारा उत्पन्न करना था। इस कार्यक्रम में लगभग १०० गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया था और लगभग ८,००० लोगों ने भी उसमें उपस्थिति दी थी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रारंभिक बैठक और समापन बैठक सहित पांच मुख्य बैठकें आयोजित की गई थीं और प्रति दिन १३० विषयों के बारे में समांतर परिसंवाद आयोजित किया गया था। यहां ‘उन्नति’, ‘कच्छ महिला विकास संगठन’, ‘महिला स्वराज अभियान’ द्वारा और ‘साथ’ संस्था के सहयोग से ‘उन्नति’ द्वारा जिन विषयों को लेकर परिसंवाद आयोजित किये गए थे उनका विवरण दिया गया है।

१. वैश्विक अर्थतंत्र और शहरीकरण : उभरते सवाल और चुनौतियां

१० मार्च को ‘साथ’ संस्था के सहयोग से आयोजित इस परिसंवाद में ७७ सहभागियों ने भाग लिया था। उनमें ‘असाग’ के श्री कीर्तिभाई शाह, ‘सेप्ट’ की सुश्री दर्शिनी महादेविया, ‘उन्नति’ की सुश्री एलिस मोरिस, ‘साथ’ के श्री राजेन्द्र शाह और ‘विकास’ के श्री राजेशभाई शाह वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इस परिसंवाद में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शहरीकरण को बढ़ाती है अतः लोगों, पूंजी, टेक्नोलॉजी आदि की हलचल का महत्त्व बढ़ा है। शहरीकरण अनिवार्य है, ऐसे मुद्दे के बारे में ही कई एतराज उठाये गए थे, गरीबी, बेकारी, जीवन की निम्न गुणवत्ता, झोंपड़पट्टियों में होती वृद्धि, अपराधों और अशांति में होती वृद्धि, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, आवास का अधिकार आदि महत्त्वपूर्ण मुद्दे शहरी जीवन के लिए चुनौती बने हैं। कई नागरिक अपनी इच्छा से शहरों में स्थलांतरण कर जाते हैं जबकि दूसरे कई लोग अनिवार्यतः शहरों

में स्थलांतरण करते हैं। वे उनकी वंचितता को बहुधा बढ़ाते हैं। शहरी गरीब आर्थिक प्रवृत्तियों में जो योगदान देते हैं, उसके बारे में इस परिसंवाद में चर्चा हुई थी। विकास की वर्तमान प्रक्रिया असमान और अन्यायी है, इस बारे में परिसंवाद के सहभागियों ने बल दिया था। इस परिसंवाद में दो मुख्य बातें उभर कर आई थीः (१) असमान विकास और असमान सामाजिक ढांचा मजबूत होता जाता है। हमें समता व न्याय पर आधारित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। (२) यदि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा तभी शहर की ओर स्थलांतरण रुक सकेगा, अतः ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

२. शहरी आवास और ढांचागत सुविधाएं

१० मार्च को ‘साथ’ संस्था के सहयोग से आयोजित इस परिसंवाद में ४७ सहभागियों ने भाग लिया था। उनमें ‘असाग’ के श्री कीर्तिभाई शाह, ‘सेप्ट’ की सुश्री दर्शिनी महादेविया, ‘उन्नति’ की सुश्री एलिस मोरिस, ‘साथ’ के श्री राजेन्द्र शाह और ‘विकास’ के श्री राजेशभाई शाह वक्ता के रूप में विद्यमान थे।

इस परिसंवाद में झोंपड़पट्टी के उद्भव, बुनियादी सुविधाओं के अभाव हेतु उत्तरदायी परिबलों और झोंपड़पट्टी वासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो किया जा सकता है उस पर ध्यान केन्द्रित हुआ था। ‘उन्नति’ द्वारा २००१ के भूकम्प के बाद भचाऊ में १,४०० झोंपड़वासी परिवारों के पुनर्वास हेतु किये गए संघर्ष के अनुभव प्रस्तुत किये गए थे। ‘साथ’ द्वारा झोंपड़वासियों के साथ उनके द्वारा किये गए काम का विवरण प्रस्तुत किया गया था। झोंपड़वासी अपनी सुरक्षा के लिए राजनीतिक लोगों पर आधार रखते हैं। झोंपड़वासियों की परिस्थिति सुधारने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है और इस विषय पर इस परिसंवाद में बल दिया गया था। निजीकरण और वैश्वीकरण के परिबल इसके लिए राज्य को दोष देते हैं। वैसे सरकार स्वयं यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती कि वह दुर्बल है और वह वैश्वीकरण के दबावों आगे झुक जाती है। इस परिसंवाद में जो महत्त्वपूर्ण मुद्दे

उभर कर आए वे निम्नानुसार हैं :

१. सर्वप्रथम तो आवास के अधिकार को स्थापित करने की जरूरत है। एक बात यह स्वीकार करनी ही चाहिए कि झोंपड़पट्टी पर दबाव बढ़ता ही जाएगा। जमीन के भाव बराबर बढ़ते ही जा रहे हैं अतः झोंपड़पट्टियों की जमीन की स्थिरता महत्वपूर्ण हो गई है।
२. शासन के ढांचे को बदलने की जरूरत है तभी परिस्थिति परिवर्तन आ सकता है।
३. मात्र सेवाएं प्रदान करने से परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। लोगों को जमीन का अधिकार देने की जरूरत है।
४. प्रत्येक परिस्थिति और स्थान के लिए अलग-अलग समाधान हो सकते हैं। सभी जगहों पर एक ही प्रकार का हल लागू करने से अपेक्षित परिणाम नहीं आता।
५. झोंपड़वासियों के आवास हेतु संस्थागत ऋण प्राप्त हों, इसके लिए चर्चा करने हेतु मंच प्रदान किया जाना चाहिए।
६. झोंपड़वासी और नागरिकों का समाज जब तक स्वयं अपनी समस्याओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ परिवर्तन नहीं होगा। उनकी आवाज प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए।

३. स्वशासन, राज्य वित्त आयोग और सत्ता का विकेन्द्रीकरण

११ मार्च को आयोजित इस परिसंवाद में १४५ सहभागियों ने भाग लिया था। उसमें अहमदाबाद की एच. के. आर्ट्स कॉलेज के अर्थशास्त्र के अध्यापक श्री हेमन्तकुमार शाह और अहमदाबाद की सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इकोनोमिक एंड सोशियल रिसर्च के डॉ. रोहित देसाई ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये थे।

इस परिसंवाद में वक्ताओं ने पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की यथासमय रचना हो और उनका विवरण यथासमय प्रस्तुत हो, इसके लिए सरकार पर दबाव डालने की बात कही थी। उसमें इस बात पर बल दिया गया था कि यदि पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी और यदि उन्हें वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होगी तो वे संविधान के अंतर्गत उन्हें सौंपे हुए काम अधिक उत्तम रीति से कर सकेंगे। उन्होंने कहा था कि गुजरात में प्रथम राज्य वित्त आयोग १९९५ में

स्थापित किया गया था और १९९८ में उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। वैसे इस वित्त आयोग की सभी सिफारिशों का राज्य सरकार ने अमल नहीं किया। वर्तमान में तीसरा वित्त आयोग गठित करने का समय कभी का शुरू हो गया है परंतु अभी तक दूसरे वित्त आयोग का प्रतिवेदन भी आया नहीं है। राज्य सरकार अपने कुल व्यय में से मात्र १० प्रतिशत राशि पंचायतों को अनुदान और लोन के रूप में देती है परंतु यह राशि भी सरकारी योजनाओं के अधीन ही उनके द्वारा निश्चित किये गए स्तरानुसार काम में लानी होती है। इससे पंचायतों को अपनी इच्छानुसार प्राथमिकता तय करके खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं होती। पंचायतों को गुजरात सरकार द्वारा अधिक धन देने की और उस धन को बिना शर्त देने की आवश्यकता है, इस बात पर बल दिया गया था। कई सहभागियों ने परिसंवाद में पंचायतों की वित्तीय व्यवस्थाओं और कठिनाइयों के बारे में अपने अनुभव प्रस्तुत किये थे। कुल मिलाकर सबका ऐसा मत था कि आर्थिक मामले में भी विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है।

४. सामाजिक न्याय में पंचायतों की भूमिका

११ मार्च को आयोजित इस परिसंवाद में ८२ सहभागियों ने भाग लिया था। उसमें अहमदाबाद के एच. के. आर्ट्स कॉलेज के अर्थशास्त्र के अध्यापक श्री हेमन्तकुमार शाह और द्वारका ग्राम्य विकास ट्रस्ट के निदेशक प्रो. डी. एस. केर द्वारा इस विषय पर विचार व्यक्त किये गए थे।

इस परिसंवाद में सामाजिक न्याय दिलाने में पंचायतों की भूमिका पर बल दिया गया था। परिसंवाद में ग्राम पंचायतों की सामाजिक न्याय समितियों के कई अध्यक्ष उपस्थित थे। उन्होंने भी अपने मंतव्य और अनुभव प्रस्तुत किए थे। पटवारी और सरपंचों की शत्रुतापूर्ण वृत्ति के कारण सामाजिक न्याय समितियां अपनी भूमिका प्रभावी रूप से अदा नहीं कर सकतीं। वास्तव में, उपेक्षित व तिरस्कृत वर्गों हेतु सामाजिक न्याय समितियां महत्वपूर्ण साधन बन सकती हैं।

अंत में इस परिसंवाद में प्रस्तुत महत्वपूर्ण सुझाव निम्न प्रकार हैं :

१. सामाजिक न्याय समितियों का मुद्दा ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की बैठकों में प्रस्तुत हो, तभी इस बारे में सरकारों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। यह जरूरी है कि सामाजिक न्याय समितियों द्वारा किये गए प्रस्तावों को ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायतों की बैठकें गंभीरता से हाथ में लें।
२. राज्य स्तर पर 'सामाजिक न्याय समिति मंच' नामक एक मंच निर्मित हुआ है। सामाजिक न्याय समितियों हेतु धन की मांग करने का समर्थन यह मंच करे, यह जरूरी है। यह भी आवश्यक है कि इन समितियों को यह धन उपयोग में लाने की स्वायत्तता हो।
३. सामाजिक न्याय समितियों की क्षमता में वृद्धि हो। मात्र सामाजिक न्याय समितियों का गठन होना ही पर्याप्त नहीं है।
४. सरकार सामाजिक न्याय समितियों को खास योजना हेतु जो राशि देती है उसे खर्च करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
५. सामाजिक न्याय समितियों को मजबूत किया जाएगा तो समाज में सामाजिक न्याय उत्पन्न होगा।

५. शहरीकरण के संदर्भ में सामाजिक क्षेत्र

११ मार्च को 'साथ' के सहयोग से आयोजित इस परिसंवाद में ५७ सहभागियों ने भाग लिया था। उसमें 'चेतना' की सुश्री पल्लवी पटेल और 'सेप्ट' के प्रो. सी. एन. रे द्वारा इस विषय पर मंतव्य प्रस्तुत किये गए थे। इस परिसंवाद में बढ़ते शहरीकरण के संदर्भ में सामाजिक क्षेत्र की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके बारे में विचार व्यक्त किये गए। शहर की व्याख्या की गई और स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं की स्थिति पर ध्यान दिया गया था। लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, सफाई आदि को अधिक उत्तम रीति से प्राप्त करने हेतु शहरों की तरफ दौड़ लगाते हैं। परंतु शहरों में कुपोषण, बाल-मृत्यु, निरक्षरता, प्रसूता-मृत्यु आदि दूषण भी देखने में आते हैं। यह बात परिसंवाद में प्रगट की गई कि यह धारणा गलत है कि लोग और विशेष रूप से गरीब उत्तम सेवाओं के लिए पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हैं। अनेक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि उत्तम सेवाओं की प्राप्ति नियमित रूप से हो तो गरीब भी उसके लिए पैसे चुकाने को तैयार होते हैं।

शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में मुख्य रूप से भी निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है। इसके अलावा ये सेवाएं खास तौर पर शहर में केन्द्रित नजर आती हैं। ऐसी दशा में ये सेवाएं शहरी गरीबों को उपलब्ध हों यह ज्यादा जरूरी है। शिक्षा क्षेत्र में लोग सरकारी संस्थाओं के बदले निजी संस्थाएं पसंद करते हैं, परंतु निजी शिक्षण अधिक महंगा है और वह गरीबों को पोसाता नहीं है। अतः शिक्षण की गुणवत्ता की रक्षा हो और वह सबको प्राप्त हो, यह जरूरी है। परिसंवाद में निम्न बातें उभरकर आई थीं :

१. महिलाओं के जीवन और स्वास्थ्य का मूल्य समझना चाहिए।
२. बुनियादी सेवाएं मात्र उपलब्ध हों, यह महत्त्वपूर्ण नहीं, वरन् वे समाज और विशेष रूप से महिलाओं को पोसाने जैसी होनी चाहिए।
३. महिलाएं सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं, वरन् उत्पादक भी हैं।
४. सेवाएं प्रदान करने संबंधी व्यवस्थाएं महिलाओं को भी ध्यान में लेने वाली होनी चाहिए।
५. मानसिक स्वास्थ्य की सेवाओं में गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए।
६. महिलाओं में कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है।
७. वृद्ध महिलाओं और अपंग महिलाओं के स्वास्थ्य की जरूरतों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।
८. विशेष रूप से महिलाओं का स्वास्थ्य सम्बंधी बजट बढ़ाने की जरूरत है।

६. शासन की संस्थाएं

११ मार्च को 'साथ' के सहयोग में आयोजित इस परिसंवाद में ३६ सहभागियों ने भाग लिया था। उनमें 'क्रेडिबिलिटी एलायंस' के श्री कुलदीपसिंह सोलंकी और पंचायती राज क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञ और गुजरात सरकार के भूतपूर्व उप विकास आयुक्त श्री रमेश म. शाह ने अपने विचार व्यक्त किये थे।

इस परिसंवाद में स्थानीय संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और कंपनियों के संदर्भ में शासन की संस्थाओं बाबत चर्चा हुई थी। शासन की संस्थाओं के उद्देश्य क्या हैं और वे क्या करना चाहते हैं, यह महत्त्वपूर्ण है। कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में

गुजरात सामाजिक मंच में चर्चित विषय

अ. मुख्य सभाएं

१. प्रारंभिक सभा : गुजरात वैश्वीकरण के तिराहे
२. सामाजिक विकास और गुजरात
३. गुजरात में आर्थिक विकास व समानता
४. वैकल्पिक गुजरात : महिलाओं के दृष्टिकोण से
५. वैकल्पिक गुजरात : श्रमिकों एवं वंचितों के दृष्टिकोण से
६. वैकल्पिक गुजरात : दलितों, आदिवासियों एवं सामाजिक रूप से वंचितों के दृष्टिकोण से
७. समापन सभा

आ. परिसंवाद

१. दलितों पर अत्याचार और हिंसा के स्वरूप
२. आदिवासी स्वायत्तता और स्वशासन
३. 'एकल नारी शक्ति मंच' के अनुभव
४. महिला और भू-स्वामित्व : गुजरात में स्थिति
५. जेंडर : साहित्य और पत्रकारत्व
६. एड्स, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और जेंडर
७. गुजरात में निजीकरण और श्रमिकों पर उसका प्रभाव
८. बाल-मजदूरी : गुजरात के संदर्भ में समस्याएं और समाधान
९. कौमवादी विचारधारा और उसका प्रतिकार
१०. गुजरात में भूमि-सुधार की परिस्थिति और उसके विविध पहलू
११. गुजरात के सागर तट पर पानी, खेती और पशुपालन
१२. वैश्वीकरण का सामाजिक, आर्थिक अधिकारों पर प्रभाव
१३. ग्रामीण स्वच्छता
१४. गुजरात की भूकम्प नीति का मानवाधिकार के दृष्टिकोण से विवेचन पूर्ण विश्लेषण
१५. चयनित महिला प्रतिनिधियों का सम्मेलन
१६. शिक्षितों के शिक्षण पर पुनः विचार
१७. साम्प्रत समय की रंगभूमि : प्रवाह और चुनौतियां
१८. प्रायोगात्मक शिक्षण की पद्धतियां
१९. तिराहे : अहमदाबाद की कला : एक खोज
२०. आइ.आइ.पी.एल.एस. कन्वेंशन
२१. वैश्वीकरण की और जाती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण :

उभरते प्रश्न और चुनौतियां

२२. दलितों की राजनीतिक भागीदारी सम्बंधी नीति
२३. स्थलांतरण और काम का अधिकार
२४. महिलाओं की जातीयता और जातीय अधिकार
२५. नाट्य क्षेत्र में महिलाएं
२६. सामाजिक संस्थाएं, बैंकर्स और विशेषज्ञों के बीच प्रश्नोत्तर कार्यक्रम
२७. घरेलू हिंसा और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रश्न और परिस्थिति
२८. मजदूर कानूनों के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याएं
२९. अधिकार के दृष्टिकोण से सफाई
३०. सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी : नागरिक समाज की भूमिका
३१. गुजरात का सागर तट और मछुआरे
३२. मानवाधिकार : अंतर्राष्ट्रीय चर्चाएं और गुजरात की परिस्थिति
३३. संस्थागत ढांचा और महिलाओं पर उसका असर
३४. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का वितरण
३५. गुजरात में बाढ़ राहत बाबत विविध क्षेत्रों के प्रभावों का मूल्यांकन, अनुभवों का आदान प्रदान, बहुआयामी प्रभावों का पृथक्करण
३६. वंचितों की विधानसभा
३७. मालधारी और उनके जीवन निर्वाह के प्रश्न
३८. शहरी बसावट और ढांचागत सुविधाएं
३९. जन समुदाय आधारित चिकित्सा व्यवसाय : विशेषज्ञ, निजी व्यवसाय और स्वैच्छिक संस्थाएं
४०. अवरोधमुक्त पर्यावरण
४१. प्रयोगात्मक शिक्षण की पद्धतियां-कार्य - आधारित शिक्षण
४२. सामाजिक न्याय और समन्वय
४३. तिराहे : अहमदाबाद की कला : एक खोज
४४. दलितों हेतु भूमि सुधार क्रियान्वयन बाबत परिस्थिति
४५. आदिवासी महिलाएं और भू-स्वामित्व
४६. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-शोषण विशेष रूप से श्रमिक महिलाओं के मुद्दे

४७. बचत, ऋण और महिलाओं का सशक्तिकरण
४८. सी.एस.डब्ल्यू और उसके प्रश्न
४९. असंगठितों का संगठिकरण (निर्माण कार्य मजदूर, अस्थायी मजदूर, स्थलांतरित मजदूर)
५०. उद्योगों में स्वास्थ्य व सुरक्षा
५१. बाल विवाह
५२. शहरी मालधारियों के प्रश्न
५३. गुजरात का सागर तट और औद्योगिककरण
५४. शहरी गरीबों हेतु स्वच्छता की व्यवस्था : चुनौतियां
५५. शहरी जल वितरण व्यवस्था और स्वच्छता
५६. विपत्ति संबंधी भरोसेमंद निगरानी
५७. स्थानीय स्वराज्य : राज्य वित्त आयोग, सत्ता का विकेंद्रीकरण
५८. वंचितों की शिक्षा और नैतिक मूल्य ढांचा
५९. अक्षमता और विविध कानूनों का क्रियान्वयन
६०. मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में न्याय व्यवस्था की भूमिका की समीक्षा
६१. सिर पर मैला उठाना और उसे दूर करने की व्यूह रचनाएं
६२. दलित साहित्य
६३. आदिवासी पहचान और कौमवाद
६४. महिला पर अत्याचार/ हिंसा/ जन सुनवाई
६५. विविध आंदोलनों में लिंग आधारित मुद्दों को स्थान : विविध आंदोलनों के बीच संवाद
६६. महिला और फिल्म
६७. क्या बचत समूह बैंकर. सामाजिक संस्था या लोगों की जरूरत है?
६८. सहकारी समितियां : वर्तमान और भविष्य
६९. मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सामाजिक विकास की समस्याएं
७०. कांटेक्ट मजदूर
७१. बालिकाएं
७२. युवा और राजनीति
७३. भारत में दवायें पोसाती हैं?
७४. गुजरात के सागरतटीय क्षेत्रों में हस्तकला
७५. सी.बी.डी.पी. का संस्थाकरण - प्रेजेंटेशन वर्कशॉप/ केस स्टडीज और डिस्पले
७६. ग्रामसभाओं में लोगों की भागीदारी
७७. एड्स
७८. शहरीकरण के संदर्भ में सामाजिक क्षेत्र
७९. अक्षमता और शिक्षण
८०. वंचितों की विधानसभा
८१. निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण
८२. विकास के कारण आदिवासियों का स्थलांतरण
८३. शाला का विकल्प
८४. महिला और टेलिविजन
८५. स्थानीय स्तर पर आयोजन
८६. श्रमिकों के दृष्टिकोण और आर्थिक विकास : रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आत्मगौरव
८७. सी.एस.एस. शिक्षा में समानता, प्रामाणिकता के मुद्दे
८८. युवा और कार्यकाल-सूचना
८९. सूचना का अधिकार
९०. अन्न अधिकार : सामाजिक छानबीन के अनुभव
९१. व्यक्तिगत कानूनों विषयक सूचना
९२. अकाल राहत या अकाल निवारण? गुजरात अकाल राहत मैनुअल विश्लेषण
९३. सामाजिक न्याय में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका
९४. शालाओं को क्या देना चाहिए?
९५. युवा और शिक्षण
९६. शहरी स्वशासी संस्थाएं
९७. अक्षमता और रोजगार
९८. डाकिन प्रथा : कानूनी उपायों की जरूरत
९९. दलितों पर कौमी दंगों का प्रभाव
१००. जंगल अधिकारों का दस्तावेज
१०१. महिला हिंसा को रोकने की व्यूहरचना
१०२. जेंडर विकास और जेंडर नीतियां
१०३. सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और महिलाओं पर अत्याचार
१०४. पाटण केस : ग्राम महिलाओं की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था
१०५. मजदूर आंदोलन की गुजरात में मुश्किलें
१०६. महिला और श्रम : असंगठित क्षेत्र में महिलाएं
१०७. सामाजिक भेदभावों का बालकों पर प्रभाव
१०८. युवा और सार्वजनिक माध्यम
१०९. मालधारी और शिक्षा
११०. ई.जी.ए.

१११. गांधी विचारधारा पर शिक्षण : आज के संदर्भ में उसकी प्रभाविता व उपयोगिता - विवेचनात्मक मूल्यांकन
११२. गुजरात की स्वास्थ्य-परिस्थिति समीक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त करने के हक भागीदारी नीति
११३. स्वच्छता की राजनीति
११४. शहरीकरण : विकल्प व भावी व्यूह रचना
११५. सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी
११६. पर्यावरणीय मूल्यांकन में जन-प्रतिक्रिया

११७. गुजरात में स्वास्थ्य की परिस्थिति में सुधार
११८. जेंडर समानता नीति संबंधी प्रस्तुतियां
११९. दलितों की राजनीतिक सहभागिता विषयक स्थिति
१२०. भूरिया समिति की सिफारिशें
१२१. पी.एंड.डी.टी. कानून के बारे में समूह-चर्चा
१२२. महिला बचत-समूह के संगठनों की बहनों का उत्तम पद्धतियों के बारे में आदान-प्रदान
१२३. महिलाओं के भू-स्वामित्व अधिकार

अभी बहुत किया जाना शेष है। इसी भांति, गैर-सरकारी संगठनों के प्रमाणन क्षेत्र में कोई व्यवस्था अंतिम नहीं है। इन संगठनों में व्यवसायवाद बढ़ने की वजह से इनके बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। शासन की संस्थाएं बुनियादी सेवाएं किस तरह प्रदान करती हैं, गरीबी दूर करने में उनकी भूमिका क्या है, संवाद स्थापित करने में वे क्या काम कर रही हैं इत्यादि बातें महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक अन्वेषण नागरिकों के द्वारा हो, यह इस प्रक्रिया हेतु आवश्यक साधन है।

७. शहरीकरण : विकल्प और भावी व्यूहरचनाएं

११ मार्च को आयोजित इस परिसंवाद में ५९ सहभागियों ने भाग लिया था। उसमें 'सेतु' के श्री अच्युत याज्ञिक, 'असाग' के श्री कीर्ति शाह, 'विकास' के श्री राजेश शाह और 'साथ' के श्री राजेंद्र जोशी ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये।

इस परिसंवाद में वर्तमान संदर्भ में शहरीकरण के कारणों के विषय में विचार व्यक्त किये गए थे, साथ ही शहरीकरण के कारण उभरती समस्याएं हल करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था तथा व्यूह-रचनाओं के बारे में चर्चा की गई थी। शहरीकरण लोगों के जीवन पर असर डालता है। वर्तमान में 'शहरों का विकास केंद्र' में है और गांवों का विकास एक कोने में धकेल दिया गया है। इसी के परिणाम स्वरूप लोग गांवों से स्थलांतरित होकर शहरों में आते हैं। निरंतर असमान विकास होने के कारण शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं का निजीकरण होता है। राज्य को यह समझने की जरूरत है कि वह समाज के संसाधनों का मालिक नहीं, वरन् ट्रस्टी है। समाज ही इन संसाधनों का मालिक है। शहरीकरण बढ़ने के कारण तथा शहरों के चेहरे

बदलते रहने के कारण शासन में व्यवस्था में परिवर्तन अनिवार्यतः होना चाहिए। शहरी गरीबों की स्थिति में सुधार होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों हेतु कई महत्वपूर्ण तथ्य नजर में आते प्रतीत होते हैं।

१. शहरीकरण बढ़ता जाता है और शहरों में रहने वाली आबादी की मात्रा बढ़ती जाती है।
२. शहरों का विकास होता जाता है परंतु यह विकास असंतुलित है।
३. शहरों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाती है। विशेष रूप से हवा और पानी का प्रदूषण ध्यान खींचने जैसा विषय है।
४. शहरों में संगठित क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने की वृत्ति बढ़ती है, परंतु गरीबों को रोजगार प्राप्त करने में बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है।
५. असंगठित क्षेत्र भी बहुत द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है।
६. असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ता है, परंतु पर्यावरण को उससे बहुत ही कम नुकसान होता है। जबकि, नगर के सत्ताधिकारी उनके प्रति प्रायः शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हैं।
७. शहरों में झोंपड़पट्टी की तादाद बढ़ती जाती है। यदि सरकार एक भवन बनवाती है, और निजी क्षेत्र दो भवन बनवाता है तो लोग आठ मकान बनवाते हैं।
८. जितनी तेज गति से शहर विकसित होता है उतनी द्रुत गति से बुनियादी सेवाओं की सुविधाएं विकसित नहीं होती, अतः परिस्थिति बिगड़ती जाती है। जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है, यह परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ती जाती है।
९. शहरी गरीबों को बहुधा आदमी ही नहीं समझा जाता और उनके साथ लोगों व सरकार का व्यवहार अमानवीय होता है।

इस परिसंवाद के अंत में निम्न सुझाव उभरकर आये थे:

१. विकास की व्याख्या बदलने की जरूरत है। विकास हेतु हमें किसका विकास, विकास किसलिए, विकास किस तरह, विकास किस कीमत पर और किसके द्वारा विकास जैसे प्रश्न पूछने की जरूरत है। यदि विकास गरीब विरोधी हो, पर्यावरण विरोधी हो, असमानता उत्पन्न करने वाला हो, शोषक हो और मानवता का हनन करने वाला हो तो ऐसे विकास की प्रक्रिया को असहनीय माना जाना चाहिए।
२. शहरीकरण के सिद्धांत के विरुद्ध ही सवाल खड़ा किये जाने की जरूरत है। विकास की अपनी व्याख्या के आधार पर शहरीकरण का रास्ता चुना जाना चाहिए।
३. आर्थिक विकास को मात्र संख्या के संदर्भ में नहीं वरन् गुणवत्ता के संदर्भ में मापा जाना चाहिए।
४. विकास का स्वरूप भी उतने ही महत्त्व का है। औद्योगीकरण से होने वाला विकास रचनात्मक है या विनाशात्मक, यह तय करने की जरूरत है। वह समतापूर्ण, हिंसा को टालने वाला, लोभ दूर करने वाला और शांति उत्पन्न करने वाला होना चाहिए।
५. नागरिक समाज का पुनर्सृजन होना चाहिए। राज्य और सहायता स्वरूप व्यवस्थाएं फिर से निर्मित होनी चाहिए।
६. सामाजिक क्षेत्रों को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। इसी भांति गरीबों हेतु संस्थाओं की पुनर्रचना होना चाहिए।

८. स्थानीय स्तर का आयोजन

११ मार्च को आयोजित इस परिसंवाद में ५८ सहभागियों ने भाग लिया था। उसमें अहमदाबाद के एच.के. आर्ट्स कॉलेज के प्रो. हेमंत कुमार शाह, 'उन्नति' के श्री भानुभाई मिस्त्री और अहमदाबाद जिले के नेसडा ग्राम सरपंच श्री नारायण भाई ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किये।

इस परिसंवाद में लघु स्तरीय आयोजन की प्रक्रिया के विषय में विस्तारपूर्वक बात हुई थी। आयोजन की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए और संविधान में इससे संबंधित व्यवस्था की गई है। जिला आयोजन समिति और मेट्रोपोलिटन आयोजन समिति की व्यवस्था ७४वें संविधान संशोधन में की गई है। परंतु गुजरात समेत अन्य राज्यों में इस समिति का गठन नहीं हुआ, यह बात बहुत खेदजनक है। पंचायतों और पालिकाओं को उनका आयोजन करने को और उस आयोजन का क्रियान्वयन करने की छूट होनी चाहिए। इस स्थानीय स्तर के आयोजन के क्रियान्वयन हेतु जरूरी वित्तीय व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। यदि विकेंद्रित ढंग से आयोजन हो तभी आयोजन और विकास पारदर्शी व उत्तरदायी बनेगा तथा लोग विकास की प्रक्रिया में सहभागी होंगे।

अहमदाबाद जिले की धोलका तहसील के नेसडा गांव के सरपंच श्री नारायण भाई ने ग्राम सभा के सदस्यों, पंचायत के सदस्यों और नागरिक नेताओं की मदद से उनकी पंचायत में जिस तरह लघु आयोजन हुआ उसका विवरण और अनुभव प्रस्तुत किया गया था। गांव के मोहल्लों में बैठकें आयोजित की गईं। सामाजिक नक्शे तैयार हुए, ग्राम सभा में लघु स्तरीय योजना के विषय में चर्चाएं हुईं, पंचायत का बजट इस योजना के अनुसार तैयार हुआ और बजट में किए गए आवंटन के अनुसार काम हुए - यह बात समग्र प्रक्रिया के साथ इस परिसंवाद में प्रस्तुत की गई। इसके अलावा भचाऊ नगरपालिका में भूकम्प के बाद पुनर्रचना और पुनर्वास की प्रक्रिया में सहभागी आयोजन करने हेतु 'उन्नति' के प्रयास कैसे रहे, और उनमें क्या-क्या ध्यान रखा गया, उसके अनुभव भी प्रस्तुत किये गए थे और सहभागी पुनर्वास पर बल दिया गया था।

पृष्ठ 33 का शेष भाग

२००५ में जन स्वास्थ्य अभियान में एक कार्यकारी समूह का निर्माण किया गया। राज्य स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं, ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा अलग स्तर के कर्मचारियों और वंचित समुदाय

के साथ बैठकें आयोजित की गईं। इसके पश्चात् राज्य में महिला एवं लोक स्वास्थ्य के मुद्दे पर कार्यरत सदस्यों ने जन स्वास्थ्य सेवाओं में लोक सहभागिता कायम करने के लिए नीति गढ़ने की पहल की गई।

गतिविधियाँ

स्वास्थ्य सेवाओं में लोक-भागीदारी

'जन स्वास्थ्य अभियान' भारत में स्वास्थ्य के सम्बंध में कार्यरत सबसे बड़ा नेटवर्क है। इस में महिला, विज्ञान, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले लोक संगठन जुड़े हुए हैं। इस अभियान की शुरुआत वर्ष २००० में 'पीपल्स हेल्थ एसेम्बली' की तैयारी के दौरान की गई थी। १९७८ में आल्माआता में पारित प्रस्ताव 'सब के लिए स्वास्थ्य-२०००' पर कराये गए कार्य की समीक्षा की गई थी। उसमें भारत से पांच लाख लोग जुड़े थे।

इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ऐसा अभिगम रखते हुए 'सब के लिए स्वास्थ्य २०००' नामक अंतर्राष्ट्रीय सूत्र दिया गया। इस सूत्र को साकार करने के लिए वर्तमान रणनीतियों की समीक्षा के बजाय नयी दिशा सूचित की गई थी। अभियान के संदर्भ में ३० नवंबर १ दिसंबर २००० के मध्य कोलकाता में लोक स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई थी। उसमें २००० प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सभा में 'सबके लिए स्वास्थ्य : आज ही' की मांग पर रणनीतियां गढ़ी गई थी।

भारत से एक विशाल प्रतिनिधि मंडल ने ४-८ दिसंबर २००० के मध्य ढाका में आयोजित 'पीपल्स हेल्थ एसेम्बली' में भाग लिया था। भारत में किये गए प्रयास को सफल संगठित अभियान बताया गया था। आज भी जन स्वास्थ्य अभियान के नेतृत्व तले सदस्यगण बुनियादी अधिकार स्थापित करने में कार्यरत हैं।

गुजरात में राष्ट्रीय अभियान के भाग स्वरूप नवंबर २००० में बड़ौदा में जन स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई थी। उसमें १५ जिलों में से ७०० प्रतिनिधियों ने मिलकर गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने की मांग रखी थी। 'जन-जन की है एक पुकार, स्वास्थ्य है सबका आधार' सभा में उभरे सुझाओं को आगे राष्ट्रीय सभा और अंतर्राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधि मंडल द्वारा ले जाया गया था'

२००१ वर्ष में आये भूकम्प और २००२ वर्ष में गोधरा कांड के बाद गुजरात में सदस्य संस्थाएं राहत और विस्थापन के काम में व्यस्त रही थीं। आल्माआता की घोषणा के २५ वर्ष पूरे होने पर २००३ में जन स्वास्थ्य अभियान - भारत द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य अधिकारों का सीधा हनन हुआ हो अथवा अपर्याप्त जन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता, गुणवत्ता के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत अधिकारों का इन्कार हो, उसका दस्तावेजीकरण हाथ में लिया गया था।

गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा स्वास्थ्य सेवाओं के इन्कार संबंधी केसों का दस्तावेजीकरण किया गया था। तदुपरांत जून-२००४ के खंभात के अकीक कार्यकर्ताओं और पंचमहाल दाहोद में जन सुनवाई आयोजित की गई। जुलाई २००५ में भोपाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस अभियान के संयुक्त उपक्रम में 'पश्चिम भारत जन-सुनवाई' में गुजरात राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति की गई थी। इस सुनवाई में उपस्थित गुजरात स्वास्थ्य आयुक्त ने मुद्दों को ध्यान में लेते हुए कहा कि, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और सुधारने के लिए वे जी.एस.ए. के साथ मिल कर काम को आगे बढ़ायेंगे। गुजरात सरकार की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी उठाये कदमों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया था।

जनवरी २००५ में आयोजित 'राज्य महिला स्वास्थ्य संवाद' (१०वें अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य संवाद के अंतर्गत) में लगभग १०० सहभागियों ने महिला स्वास्थ्य के सवाल को लेकर अनुभवों का आदान-प्रदान किया था, और स्वास्थ्य के मुद्दे पर संयुक्त प्रयास करने की जरूरत व्यक्त की। संवाद में उपस्थित रहने वाले राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, गुणवत्ता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए संस्थाओं के साथ काम करने के विचार का अभिनंदन किया।

शेष पृष्ठ 32 पर

विगत तीन माह की अवधि में 'उन्नति' द्वारा निम्नांकित प्रवृत्तियां हाथ में ली गई थीं :

१. सामाजिक समावेश और सक्षमता

दलितों के अधिकार

पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर जिले की ६ तहसीलों, बाड़मेर की ४ तहसीलों और जैसलमेर की १ तहसील में 'दलित अधिकार अभियान' को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जोधपुर जिले की मंडोर व ओशियां तहसीलों के ४८ नागरिक नेताओं हेतु बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति तथा देखरेख के विषय में हाथ में दो दिनों का एक प्रशिक्षण लिया गया। बाड़मेर की बायतु और जोधपुर की भोपालगढ़ तहसीलों में नेतृत्व प्रशिक्षण हाथ में लिया गया, जिसमें ५५ नागरिक नेताओं ने भाग लिया था। तदुपरांत जोधपुर व बाड़मेर जिलों में ८ तहसील स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। उसमें २४५ नागरिक नेताओं ने भाग लिया था। विगत तीन माह के दौरान अत्याचार के ८ मामलों, सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव के २ मामलों और जमीन दाबने के २ मामलों पर केस किये गए। दो तहसीलों में २०८ बीघा जमीन मुक्त कराई गई थी और प्रशासन तंत्र पर दबाव डालने हेतु जिला स्तर पर प्रदर्शन किया गया था। जिन विविध दलित नेताओं के संघर्ष और आंदोलनों ने दलित विचारधारा निर्मित करने में उपलब्धिपूर्ण सहयोग प्रदान किया है, उनका विवरण दर्शाने वाली एक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। 'शहीद भगतसिंह दिवस के निमित्त एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें 'दलित अधिकार अभियान की प्रवृत्तियों की समीक्षा की गई थी और भावी प्रवृत्तियों का आयोजन किया गया था। उसमें ५०० नेताओं ने भाग लिया था। बालिकाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु 'विकल्प संस्थान' को 'हमारी बेटों का अधिकार' विषय पर एक रैली के आयोजन के बारे में सहयोग प्रदान किया गया था। पानी व सफाई के बारे में तीन तहसील स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। उसमें स्कूलों के बालकों सहित स्त्री-पुरुष नेताओं ने भाग लिया था। उसमें स्वच्छता व स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सहभागी संस्थाओं के सहयोग के साथ उदयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति और जयपुर नगर में घरेलू काम करने वालों की स्थिति के विषय में दो अध्ययन शुरू किये गए हैं।

विकलांगता

'गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स' के सदस्यों हेतु २१-१-२००६ को 'एक्सेस रिसोर्स ग्रुप' के सहयोग से एक अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें स्थापत्य कला के पेशेवरों और विद्यार्थियों समेत लगभग ५० लोग उपस्थित थे। उनमें विकलांग लोगों की पहुंच को प्रोत्साहन देने के लिए स्थिति, जरूरत और प्रयास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 'उन्नति' और 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' द्वारा ४.३.०६ को बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव युनिवर्सिटी के समाज कार्य विभाग द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में 'सामाजिक विकास हेतु सीमा के उस पार' विषय के संबंध में एक अध्ययन लेख प्रस्तुत किया गया था। 'एक्सेस रिसोर्स ग्रुप' और विकलांग व्यक्तियों सहित ७ सदस्यों की एक टुकड़ी ने अहमदाबाद के 'सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान' (स्पिपा) का मध्यावधि ऑडिट करने हेतु सम्पर्क किया था। इस समूह द्वारा पूर्व में जो पहुंच ऑडिट विवरण सौंपा गया था उसके आधार पर संबंधित सत्ताधिकारियों ने भवन में जरूरी सुधार किया था। सुधारों का क्रियान्वयन करने वाली टुकड़ी को जरूरी फेरफार करने हेतु एक अंतरिम विवरण सौंपा गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने गुजरात में 'स्पिपा' के भवन को सम्पूर्ण पहुंच वाले नमूने स्वरूप भवन बनवाने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया है।

विपत्ति का सामना करने की तैयारी

गुजरात के कच्छ में भचाऊ के पास १० स्थानों पर सामुदायिक आकस्मिकता योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया के भाग स्वरूप सामाजिक नक्शे तैयार किये गए थे। एक स्थान पर स्त्रियों हेतु सामुदायिक शौचालय बनवाने हेतु चर्चा चली थी। दूसरे स्थान पर घरों का सुरक्षा

की दृष्टि से ऑडिट किया गया था और उसे सुधारने के लिए टेक्नीकल सहयोग प्रदान किया गया था। तीन समुदायों में असहाय परिवारों को ५७ सौर ऊर्जा संचालित लाइटें उपलब्ध कराई गईं। 'उन्नति' द्वारा और अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा रचित स्व-सहायता समूहों को पुनर्जीवित करने के लिए १० समूहों के साथ बैठकें आयोजित की थीं। इसकी चर्चा हुई थी कि वे काम करते क्यों बंद हो गये।

२०.३.२००६ को सक्रिय महिला स्व-सहायता समूहों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया था। उसमें १२३ महिलाओं ने भाग लिया था। कसीदाकारी करने वाली महिला कारीगरों को जीवन निर्वाह हेतु पूरा सहयोग देने के लिए वर्तमान हस्तकला दुकानों के साथ बाजार सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त, कच्चे माल व तैयार वस्तुओं दोनों के लिए संग्रह संचालन नियंत्रण व्यवस्था निर्मित की गई है।

क्षमतावर्धन

अहमदाबाद के 'साबरमती समृद्धि सेवा संघ' द्वारा आयोजित स्त्री-पुरुष भेदभाव जागृति संबंधी तीन दिवसीय एक शिबिर में उनके काम संबंधी बुनियादी विचारों की समझ विकसित करने के लिए और उनके काम में वे विचार लागू करने हेतु सहयोग दिया गया। यह कार्यक्रम ७ से ११ जनवरी के मध्य आयोजित किया गया था। संस्था के कार्यकर्ताओं की टुकड़ी को समुदाय स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने संबंधी साधनों और पद्धतियों के साथ सज्जित किया गया था। अफगानिस्तान के 'आगा खां फाउण्डेशन' द्वारा किये गए अनुरोध के आधार पर अफगानिस्तान के स्वैच्छिक क्षेत्र और सरकार के १६ प्रतिनिधियों हेतु एक निदर्शन मुलाकात का समन्वय किया गया। ३ से १४ फरवरी २००६ के मध्य आयोजित इस मुलाकात के दौरान महिलाओं के विकास परक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने वाले संगठनों से मुलाकात की गई थी और स्त्री-पुरुष सामाजिक भेदभाव संबंधित प्रश्नों के बारे में सहभागियों को अभिमुख करने आये थे। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान के महिला विकास के प्रयासों को प्रोत्साहन प्रदान करना था।

२. नागरिक नेतृत्व और शासन

ग्रामीण शासन

गुजरात में 'राज्य ग्राम विकास संस्थान' (एस.आइ.आर.डी) के सहयोग में पंचायतों के प्रतिनिधियों हेतु 'सेटकोम' आधारित प्रशिक्षण शुरू किया गया है। पंचायती राज के बारे में समझ उत्पन्न करने हेतु २१-२२ फरवरी २००६ के मध्य २५ जिलों में ३८ केंद्रों के समन्वयकों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। 'जिला ग्राम विकास एजेंसी' (डी.आर.डी.ए) द्वारा नियुक्त विस्तरण अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी तथा ग्राम सेवक उसमें सहभागी थे। जनवरी २००६ के मध्य ग्राम सभाओं में लोगों की सहभागिता उत्पन्न करने हेतु अहमदाबाद और साबरकांठा जिले की ८ तहसीलों में पंचायत विकास समितियों द्वारा जागृति अभियान हाथ में लिया गया था। मोहल्ले स्तर की बैठकें आयोजित की गईं और ग्राम सभा में कौन से मुद्दों पर चर्चा की जाए इसका प्राथमिकता भी इन बैठकों में तय की गई थी। हम अहमदाबाद और साबरकांठा जिले की ८ तहसीलों की ८० ग्राम पंचायतों में सक्रियता से काम कर रहे हैं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की महिला विकास समितियों के साथ काम करके निर्वाचित प्रतिनिधियों का नेटवर्क खड़ा किया गया है। यह नेटवर्क स्थानीय स्तर पर अधिक उत्तम शासन हो, उसके लिए, और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जैसी सरकारी योजनाओं पर नियमित रूप से देखरेख रखने के लिए काम कर रहा है। साबरकांठा जिले की खेड़ब्रह्मा तहसील में यह काम हो रहा है। अहमदाबाद जिले की धोलका तहसील में मध्याह्न भोजन योजना और साबरकांठा जिले की खेड़ब्रह्मा तहसील में यह काम हो रहा है। अहमदाबाद जिले की हिंमतनगर तहसील में कलाई ग्राम में दलित मोहल्ले में सड़क बनाने के संदर्भ में यह काम हो रहा है। धोलका में निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेटवर्क के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उसकी भूमिका के विषय में एक विचार-विमर्श का आयोजन किया गया था। अहमदाबाद के 'बिहेवियेरल साइंस सेंटर' के सहयोग में ग्राम पंचायत की सामाजिक न्याय समितियों के अद्यक्षों के साथ एक राज्य स्तरीय सभा आयोजित

की गई थी। उसमें १००० अध्यक्षों ने भाग लिया था। उन्होंने ग्राम स्तर पर सामाजिक न्याय समितियों को अधिक सक्रिय बनाने के लिए नीति विषयक परिवर्तन सूचित करता एक आवेदन पत्र सरकार को सौंपा था।

२७-२८ फरवरी २००६ के मध्य धोलका, दसक्रोई और विरमगाम तहसील के २४ नागरिक नेताओं हेतु नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। राज्य वित्त आयोग और सत्ता का बंटवारा, तथा पंचायतों की सामाजिक न्याय उत्पन्न करने में भूमिका विषयों के बारे में दो राज्यस्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। १२ मिनट की समयावधि को तीन एनिमेशन फिल्मों जमीन पर कब्जा, लघु स्तरीय आयोजन और शासन में महिलाओं के बारे में तैयार की गई हैं।

राजस्थान में जनवरी २००६ में आयोजित ग्राम सभाओं में बी.पी.एल. सूची तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उसमें लोग सक्रिय रूप से भाग लें और बी.पी.एल. सूची बनायें, उसके लिए ६० ग्राम पंचायतों में सघन अभियान हाथ में लिया गया था। पंचायत स्तर पर और महिला प्रतिनिधियों हेतु गठित संसाधन-समूह **करोड़ो** की क्षमता वृद्धि हेतु एक दिवसीय १५ प्रशिक्षण आयोजित किये गए थे। उनमें बी.पी.एल. की सूची बनाने, सूचना अधिकार कानून और राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया था। स्थानीय भाषा में साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम में बी.पी.एल. सूची बनाने, ग्राम सभा, स्त्री-भ्रूण हत्या, कम खर्चीले घरों और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया।

शहरी शासन

गुजरात में साबरकांठा जिले के प्रांतिज, मोडासा, ईडर और खेडब्रह्मा नगरों हेतु विकास योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लोग उनकी विकास संबंधी जरूरतें खोज निकालें और वे किस तरह पूर्ण हों, इस विषय के बारे में अनेक वार्ड स्तरीय बैठकें आयोजित की गई थीं। जिला मुख्य नगर आयोजकों, मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों तथा नगर नेताओं के साथ गुजरात नगर आयोजन और शहरी विकास धारा, ७४वां संविधान संशोधन और शहरी विकास तथा गरीबी निवारण की योजनाओं के विषय में अभिमुखता बैठकें आयोजित की गई थीं। बावणा, मोडासा और ईडर नगरों में नगरपालिकाओं के सहयोग से ठोस कचरा व्यवस्था संचालन के क्रियान्वयन हेतु सूचना

शेष पृष्ठ 21 पर



विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोन: 079-26746145, 26733296 फैक्स: 079-26743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोन: 0291-2642185, फैक्स: 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइन: रमेश पटेल, उन्नति गुजराती से अनुवाद: रामनरेश सोनी

मुद्रक: बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-55612967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।